XamAgent

प्रारंभिक परीक्षा 2027

ED. 2027 · 23 CH · PYQ-PROOF · 207 FIG · 725 ★★★ · 268 MCQ

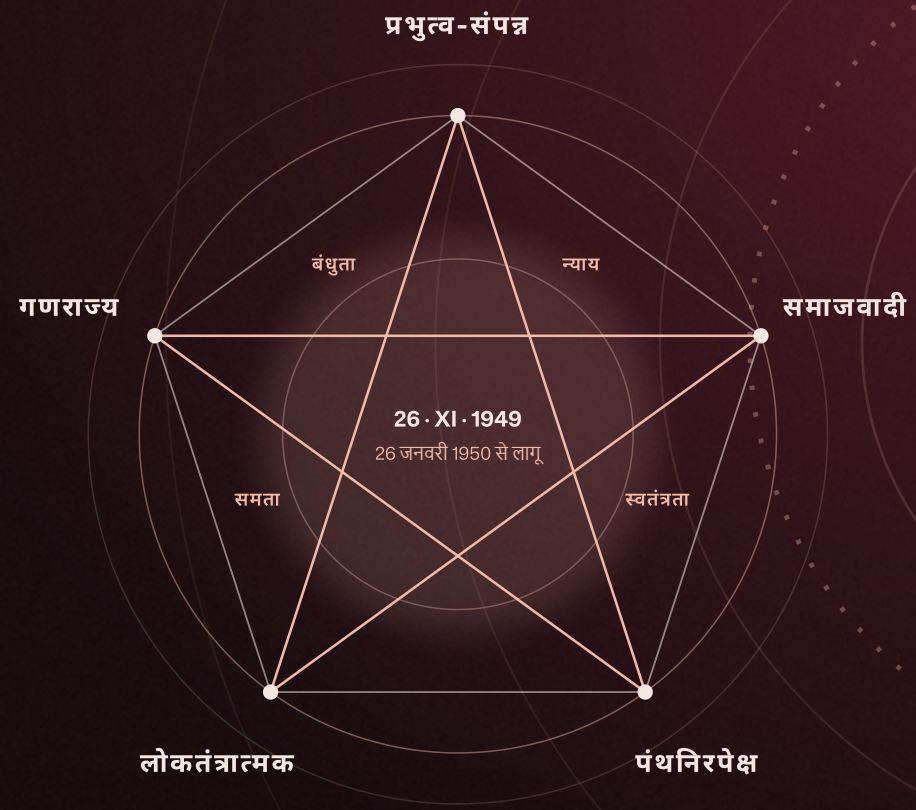

प्रारंभिक परीक्षा नोट्स

भारतीय राजव्यवस्था

प्रारंभिक परीक्षा से पहले की रात, बस एक किताब चाहिए।

PYQ-PROOF

2011 से UPSC और BPSC का हर प्रश्न इन नोट्स से हल होता है।

16 · वर्ष

UPSC CSE · BPSC · UPPCS · SSC CGL

Also in English

पाठक के लिए

ज़्यादातर छोटे नोट्स किसी वजह से छोटे होते हैं। चालीस-पचास पन्ने, छोटे अक्षर, हर पन्ना किनारे तक भरा हुआ। एक पन्ना पढ़ने में बीस मिनट लगते हैं और अगले पन्ने तक भूल जाता है। परीक्षा के बाद वे गिनाते हैं कि कितने प्रश्न “उनसे आए”।

यह पुस्तक इस तरह काम नहीं करती।

- **पढ़ने लायक अक्षर।** पढ़ने के लिए छापे गए, ठूँसने के लिए नहीं।
- **एक पन्ना दो से तीन मिनट में।** मापा गया, अनुमान नहीं।
- **याद रखने के लिए बनी।** हर विचार के साथ एक चित्र, याद रखने की ट्रिक, रोज़मर्रा का उदाहरण और वह जाल जो परीक्षक उसके आसपास बिछाते हैं।

यह पुस्तक छोटे नोट्स से लंबी है, क्योंकि याददाश्त को जगह चाहिए। अतिरिक्त पन्नों में रटने के लिए अतिरिक्त तथ्य नहीं हैं।

यह पुस्तक आपको पसंद आएगी, अगर आप महत्व देते हैं:

- किसी विचार को रटने से पहले समझने को;
- यह जानने को कि कौन-से तथ्य पहले दोहराने हैं और कौन-से बाद में;
- ऐसे पन्नों को जो पढ़ने में आसान और दोहराने में तेज़ हों;
- ऐसे नोट्स को जो परीक्षा से पहले असली प्रश्नपत्रों पर परखे गए हों, परीक्षा के बाद श्रेय लेने वाले नहीं।

XamAgent

विषय-सूची

1	संविधान का निर्माण और उसकी प्रमुख विशेषताएँ	★★★	8
2	प्रस्तावना	★★★	25
3	भाग, अनुसूचियाँ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद	★★	35
4	संघ, उसका राज्यक्षेत्र और नागरिकता	★★	49
5	मौलिक अधिकार और रिट	★★★	65
6	राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य	★★★	89
7	संविधान संशोधन और मूल ढाँचा	★★★	107
8	संसदीय और संघीय व्यवस्था; केंद्र-राज्य संबंध	★★★	123
9	आपात उपबंध	★★	141
10	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति	★★★	153
11	प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी	★★★	173
12	संसद: सदन, पदाधिकारी, सत्र और विशेषाधिकार	★★★	189
13	विधि-निर्माण, बजट और संसदीय समितियाँ	★★★	211
14	न्यायपालिका	★★★	231
15	राज्य सरकार: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और संघ राज्यक्षेत्र	★★★	250
16	स्थानीय शासन: पंचायतें और नगरपालिकाएँ	★★★	267
17	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र; आरक्षण	★★	287
18	संवैधानिक निकाय	★★★	304
19	सांविधिक और अन्य निकाय	★★	320
20	निर्वाचन, राजनीतिक दल और दल-बदल विरोधी कानून	★★	333
21	शासन: सिविल सेवाएँ, अधिकार-आधारित कानून, पुलिस और न्याय	★★	348
22	राजनीतिक सिद्धांत और मुख्य अवधारणाएँ	★★	369
23	त्वरित तालिकाएँ: अनुच्छेद, संशोधन, ऐतिहासिक मामले, समितियाँ	★★	384
★	**परीक्षा से पहले की रात**: सभी ★★★ तथ्य एक जगह		410
	बदलने वाले तथ्य: इन्हें कहाँ जाँचें		435

कैसे पढ़ें: ★★★ बार-बार पूछा गया, ★★ कभी-कभी पूछा गया, ★ जानना उपयोगी। पूरा अध्याय एक बार पढ़ें, फिर केवल रिवीज़न कार्ड और ★★★ बिंदु दोहराएँ। हरे बॉक्स याद रखने की ट्रिक हैं, लाल बॉक्स परीक्षक के जाल, और नारंगी बॉक्स रोज़मर्रा का उदाहरण।

अध्याय 1

संविधान का निर्माण और उसकी प्रमुख विशेषताएँ

संविधान सभा की तिथियाँ और व्यक्ति, ब्रिटिश काल के अधिनियम (सबसे अधिक 1935 का अधिनियम), दूसरे देशों से ली गई विशेषताएँ और संविधान का संघीय-संसदीय स्वरूप लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 14 बार पूछा गया: UPSC 6 · BPSC 8

≈ 45 min पढ़ने में ≈ 11 min ★★★ दोहराने में दोहराएँ: दिन 1 | दिन 3 | दिन 7 | दिन 21

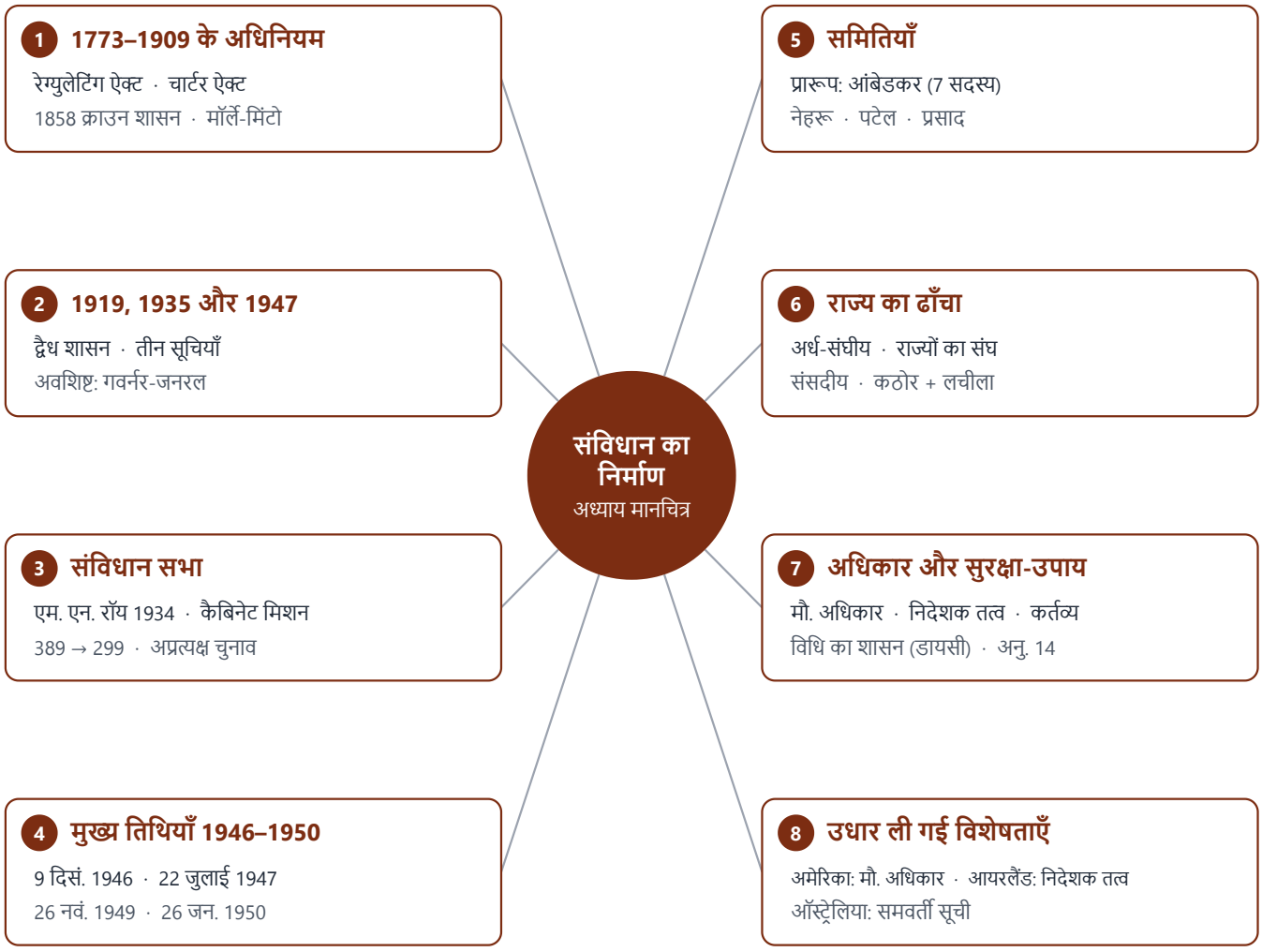

रिवीज़न कार्ड

1. **रेग्युलेटिंग ऐक्ट 1773**: कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण; **चार्टर ऐक्ट 1833**: भारत का गवर्नर-जनरल (बैंटिक); **भारत शासन अधिनियम 1858**: क्राउन का शासन, वायसराय, भारत सचिव।
2. **1909** मॉर्ले-मिंटो: मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। **1919** मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड: प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। **1935**: तीन सूचियाँ, प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय, अवशिष्ट शक्तियाँ **गवर्नर-जनरल** के पास।
3. संविधान सभा: विचार **एम.एन. रॉय (1934)** का, गठन **कैबिनेट मिशन योजना (1946)** के अंतर्गत; प्रांतों के सदस्य **प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित** (एकल संक्रमणीय मत)।
4. सदस्य संख्या **389** (292 प्रांत + 4 मुख्य आयुक्त प्रांत + 93 देशी रियासतें); विभाजन के बाद **299**।
5. **9 दिसंबर 1946** पहली बैठक, अस्थायी अध्यक्ष **सच्चिदानंद सिन्हा**; **11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद** अध्यक्ष चुने गए; **13 दिसंबर 1946** नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव (22 जनवरी 1947 को स्वीकृत)।
6. **प्रारूप समिति** का गठन **29 अगस्त 1947**, 7 सदस्य, अध्यक्ष **बी.आर. आंबेडकर**; संवैधानिक सलाहकार **बी.एन. राव**।
7. **22 जुलाई 1947** राष्ट्रीय ध्वज अपनाया; **26 नवंबर 1949** संविधान अंगीकृत (**संविधान दिवस**); **24 जनवरी 1950** हस्ताक्षर, राष्ट्रगान अपनाया, प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए; **26 जनवरी 1950** लागू।
8. लगे **2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन**; 11 सत्र; 165 दिन की बैठकें।
9. मूल पाठ: प्रस्तावना, **395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ**। आज (नवंबर 2026): 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, **106 संशोधन**।
10. उधार ली गई विशेषताएँ: मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन **अमेरिका**; निदेशक तत्व **आयरलैंड**; संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता **ब्रिटेन**; शक्तिशाली केंद्र **कनाडा**; समवर्ती सूची **ऑस्ट्रेलिया**; कर्तव्य **सोवियत संघ**; संशोधन प्रक्रिया **दक्षिण अफ्रीका**।
11. एकात्मक झुकाव वाला संघीय: **'अर्ध-संघीय'** (के.सी. व्हेयर); अनुच्छेद 1 कहता है **'राज्यों का संघ'**; अवशिष्ट शक्तियाँ **संसद** के पास (अनुच्छेद 248)।
12. **विधि का शासन** (डायसी): विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता, न्यायालयों के निर्णयों से अधिकार; भारत पहले दो को लागू करता है (**अनुच्छेद 14**, न्यायिक पुनर्विलोकन)। इसके लक्षण: **सीमित शक्ति, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार**।

कंपनी से क्राउन तक: 1773 से 1909 के अधिनियम

रेग्युलेटिंग ऐक्ट 1773

चार्टर ऐक्ट 1833

भारत शासन अधिनियम 1858

परिषद अधिनियम 1861

मॉर्ले-मिंटो 1909

अंग्रेज़ व्यापारी बनकर आए। ब्रिटिश संसद ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को **नियंत्रित (Regulate)** किया, 1857 के बाद भारत को **क्राउन (Crown)** के अधीन लिया, और फिर भारतीयों को धीरे-धीरे परिषदों में प्रवेश दिया। हर अधिनियम कोई पद या विचार छोड़ गया, जिसे संविधान ने बाद में अपनाया या छोड़ा।

★★★ **रेग्युलेटिंग ऐक्ट (Regulating Act) 1773**: कंपनी पर नियंत्रण की दिशा में ब्रिटिश संसद का पहला कदम और उसकी राजनीतिक भूमिका की पहली स्वीकृति। बंगाल का गवर्नर **बंगाल का गवर्नर-जनरल** बना (पहले **वॉरेन हेस्टिंग्स**), 4 सदस्यों की परिषद के साथ; **1774** में **कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय** बना।

★★ **पिट्स इंडिया ऐक्ट (Pitt's India Act) 1784**: कंपनी का काम बाँटा: **निदेशक मंडल (Court of Directors)** के पास व्यापार रहा, नया **नियंत्रण बोर्ड (Board of Control)** राजनीतिक मामले देखने लगा। यही 'द्वैध सरकार' थी; कंपनी के क्षेत्रों को 'भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र' कहा गया।

★ **चार्टर ऐक्ट (Charter Act) 1813**: भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, केवल **चाय** और **चीन** के साथ व्यापार को छोड़कर; भारतीयों की शिक्षा के लिए धन अलग रखा।

★★★ **चार्टर ऐक्ट 1833**: केंद्रीकरण का अंतिम चरण। बंगाल का गवर्नर-जनरल **भारत का गवर्नर-जनरल** बना (पहले **लॉर्ड विलियम बैंटिक**), जिसके पास सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ थीं; कंपनी केवल एक प्रशासनिक निकाय रह गई।

★★ **चार्टर ऐक्ट 1853**: गवर्नर-जनरल की परिषद के **विधायी** और **कार्यकारी** कार्य अलग किए (अलग विधान परिषद) और सिविल सेवाओं को **खुली प्रतियोगिता** के लिए खोला, भारतीयों के लिए भी। यह अंतिम चार्टर ऐक्ट था।

★★★ **भारत शासन अधिनियम (Government of India Act) 1858** (1857 के विद्रोह के बाद): शासन कंपनी से **ब्रिटिश क्राउन** के पास गया। गवर्नर-जनरल **वायसराय (Viceroy)** भी बना (पहले **लॉर्ड कैनिंग**); नया **भारत सचिव (Secretary of State for India)**, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री था, 15 सदस्यों वाली भारत परिषद के साथ; नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल समाप्त हुए।

★★ **भारतीय परिषद अधिनियम (Indian Councils Act) 1861**: भारतीय **मनोनीत** गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में वायसराय की विधान परिषद में आए (कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत किया); बंबई और मद्रास को विधि-निर्माण की शक्ति वापस मिली; वायसराय **अध्यादेश** जारी कर सकता था; कैनिंग की **विभागीय प्रणाली (Portfolio system)** को कानूनी मान्यता मिली।

★★ **भारतीय परिषद अधिनियम 1892**: अधिक गैर-सरकारी सदस्य; परिषदें **बजट पर चर्चा** कर सकती थीं और प्रश्न पूछ सकती थीं; सीमित, **अप्रत्यक्ष** चुनाव ('चुनाव' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ)।

★★★ **भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार)**: **मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate electorate)** लाया (सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व), इसलिए **लॉर्ड मिंटो** को 'सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक' कहा जाता है। **सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा** वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय (विधि सदस्य) बने।

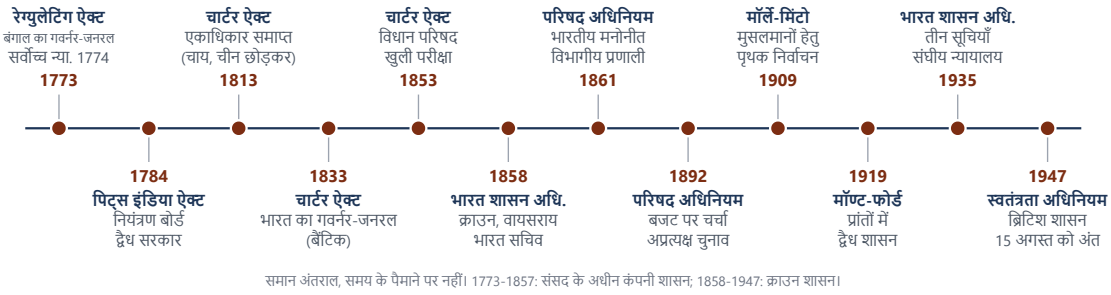

ब्रिटिश काल के अधिनियम क्रम से। रेखा पर तीन पदनाम पढ़ें: बंगाल का गवर्नर-जनरल (1773), भारत का गवर्नर-जनरल (1833), वायसराय (1858)।

याद रखें: पदनाम पहुँच के साथ बढ़ा: **हेस्टिंग्स 1773** ने बंगाल पर, **बैंटिक 1833** ने भारत पर, **कैनिंग 1858** ने वायसराय बनकर क्राउन के लिए शासन किया। बंगाल, फिर भारत, फिर क्राउन: '**B-I-C**' (Bengal, India, Crown), पेन जैसा।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** इस रेखा पर केवल ब्रिटिश काल के कानून आते हैं। 1947 के बाद का कानून, जैसे **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Civil Rights Act) 1955** (जो अनुच्छेद 17 लागू करता है), उस विकल्प-सूची में बेमेल है जो 'ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास के पड़ाव' पूछती है।

झटपट जाँच

1. किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया, और पहला कौन था?
2. किस अधिनियम ने शासन कंपनी से क्राउन को सौंपा?
3. मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किस अधिनियम से आया?

उत्तर: 1. चार्टर ऐक्ट 1833; लॉर्ड विलियम बैंटिक · 2. भारत शासन अधिनियम 1858 · 3. भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मॉर्ले-मिंटो)

1919, 1935 और 1947 के अधिनियम

द्वैध शासन 1919

तीन सूचियाँ 1935

अवशिष्ट: गवर्नर-जनरल

1919 और 1935 के अधिनियमों ने भारतीयों को सत्ता में हिस्सा दिया, पहले प्रांतों में। **1935 का अधिनियम** संविधान की बहुत-सी व्यवस्था का खाका है, इसीलिए उसके कई अंश जाने-पहचाने लगते हैं। 1947 के अधिनियम ने ब्रिटिश सत्ता समाप्त की और संविधान सभा को मुक्त किया।

संघीय न्यायालय 1937

स्वतंत्रता अधिनियम 1947

★★★ **भारत शासन अधिनियम 1919 (मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)**: प्रांतीय विषय **आरक्षित (Reserved)** और **हस्तांतरित (Transferred)** में बँटे (प्रांतों में **द्वैध शासन (Dyarchy)**); निर्वाचित बहुमत वाला **द्विसदनीय (Bicameral)** केंद्रीय विधानमंडल (विधान सभा और राज्य परिषद); संपत्ति पर आधारित सीमित मताधिकार पर **प्रत्यक्ष चुनाव**।

★★ **1919, अन्य बदलाव**: सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व **सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों** तक बढ़ा; लंदन में **भारत के लिए उच्चायुक्त**; एक **लोक सेवा आयोग** (1926 में बना); प्रांतीय बजट केंद्रीय बजट से अलग; 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग (**साइमन कमीशन** पहले, 1927 में आ गया)।

★★★ **भारत शासन अधिनियम 1935**: सबसे लंबा अधिनियम (321 धाराएँ, 10 अनुसूचियाँ)। इसने प्रांतों और देशी रियासतों के **अखिल भारतीय संघ** का प्रस्ताव रखा, जो कभी नहीं बना क्योंकि रियासतें शामिल नहीं हुईं।

★★★ **1935, शक्तियों का बँटवारा**: तीन सूचियाँ, **संघीय** (59 विषय), **प्रांतीय** (54) और **समवर्ती** (36); **अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary powers) गवर्नर-जनरल के पास**।

★★ **1935, प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial autonomy)**: प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ और उन्हें उत्तरदायी सरकारें मिलीं; केंद्र में द्वैध शासन प्रस्तावित हुआ पर कभी लागू नहीं हुआ।

★★ **1935, संस्थाएँ**: 11 में से 6 प्रांतों में **द्विसदनीय** विधानमंडल (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत); **संघीय न्यायालय (Federal Court)** (**1937** में बना); **भारतीय रिज़र्व बैंक** (1935); **संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग**; भारत सचिव की भारत परिषद समाप्त; पृथक निर्वाचन दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों तक बढ़ा।

★★ नेहरू ने 1935 के अधिनियम को 'मज़बूत ब्रेक वाली पर बिना इंजन की मशीन' कहा। फिर भी संविधान ने इससे **संघीय योजना**, **राज्यपाल का पद**, **न्यायपालिका**, **लोक सेवा आयोग**, **आपात उपबंध** और बहुत-सा प्रशासनिक विवरण लिया।

★★★ **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (Indian Independence Act) 1947** (3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना पर): ब्रिटिश शासन **15 अगस्त 1947** को समाप्त; दो डोमिनियन, **भारत और पाकिस्तान**, दोनों राष्ट्रमंडल छोड़ने को स्वतंत्र; **वायसराय** का पद समाप्त (हर डोमिनियन के लिए उसके मंत्रिमंडल की सलाह पर एक गवर्नर-जनरल); **भारत सचिव** का पद समाप्त; देशी रियासतों पर **ब्रिटिश सर्वोच्चता (Paramountcy)** समाप्त।

★★ **1947 और संविधान सभा**: हर डोमिनियन की संविधान सभा कोई भी संविधान बना सकती थी और कोई भी ब्रिटिश कानून रद्द कर सकती थी, स्वयं स्वतंत्रता अधिनियम भी।

★★ **लॉर्ड माउंटबेटन** स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल थे; **सी. राजगोपालाचारी** पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर-जनरल।

★★ संविधान के **अनुच्छेद 395** ने **भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947** और **भारत शासन अधिनियम 1935** (उसे संशोधित करने वाले अधिनियमों सहित) को निरसित किया, केवल प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम, 1949 को बनाए रखा।

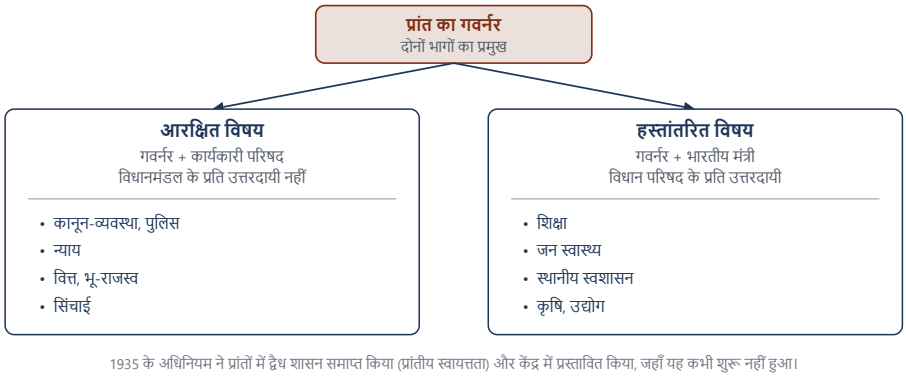

1919 के अधिनियम में द्वैध शासन: एक गवर्नर, दो तरह के विषय। केवल हस्तांतरित आधा भाग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्री चलाते थे।

1935 के अधिनियम ने क्या सौंपा, और क्या बदला ★★★

बिंदु	भारत शासन अधिनियम 1935	संविधान
शक्तियों का बँटवारा	संघीय (59 विषय), प्रांतीय (54), समवर्ती (36) सूचियाँ	संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ (सातवीं अनुसूची): 1950 में 97, 66, 47 प्रविष्टियाँ; आज 98, 59, 52 लागू
अवशिष्ट शक्तियाँ	गवर्नर-जनरल	संसद (अनुच्छेद 248; संघ सूची की प्रविष्टि 97)
सर्वोच्च न्यायालय	संघीय न्यायालय (1937); अपील प्रिवी काउंसिल में	उच्चतम न्यायालय (1950), अंतिम
प्रांत या राज्य का प्रमुख	क्राउन द्वारा नियुक्त गवर्नर	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल (अनुच्छेद 155)
सेवा आयोग	संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग	संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315)
आपात स्थिति	गवर्नर-जनरल की विशेष शक्तियाँ	भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360)

⚠ **परीक्षा में सावधान: अवशिष्ट शक्तियाँ**: 1935 के अधिनियम में **गवर्नर-जनरल** के पास, पर संविधान में **संसद** के पास (अनुच्छेद 248)। कनाडा भी इन्हें केंद्र को देता है; अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन्हें राज्यों के पास छोड़ते हैं।

💡 **याद रखें: 19 ने बाँटा, 35 ने सूची बनाई, 47 ने मुक्त किया**: 1919 ने प्रांतीय विषय दो भागों में बाँटे (द्वैध शासन), 1935 ने शक्तियाँ तीन सूचियों में रखीं, 1947 ने सभा को अपना कानून लिखने के लिए मुक्त किया।

☑ झटपट जाँच

1. 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थीं? अब किसके पास हैं?
2. प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से आया और किससे समाप्त हुआ?
3. संघीय न्यायालय ने किस वर्ष काम शुरू किया?

उत्तर: 1. गवर्नर-जनरल; अब संसद (अनुच्छेद 248) · 2. 1919 में आया, 1935 के अधिनियम से समाप्त · 3. 1937

संविधान सभा: विचार और संरचना

एम.एन. रॉय 1934

कैबिनेट मिशन 1946

389 सीटें

अप्रत्यक्ष चुनाव

विभाजन के बाद 299

भारतीयों द्वारा लिखा गया संविधान राष्ट्रीय आंदोलन की माँग थी: स्वशासन की शुरुआत अपने बनाए मूल कानून से होनी थी। अंग्रेज़ों ने इसे चरणों में माना, और **कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan, 1946)** ने अंततः तय किया कि सभा कैसे चुनी जाएगी। यह **जनता द्वारा सीधे नहीं चुनी गई** थी: नई चुनी गई प्रांतीय विधान सभाओं ने इसके सदस्य चुने।

★★★ **एम.एन. रॉय (M.N. Roy)** ने **1934** में पहली बार संविधान सभा (Constituent Assembly) का विचार रखा; **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** ने **1935** में आधिकारिक रूप से इसकी माँग की।

★★ **नेहरू (1938)** ने वयस्क मताधिकार से चुनी सभा माँगी; अंग्रेज़ों ने **अगस्त प्रस्ताव (1940)** में यह माँग सिद्धांत रूप में मानी; **क्रिप्स मिशन (1942)** के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए।

★★★ **कैबिनेट मिशन योजना, 1946**: योजना तय की। कुल सदस्य संख्या **389**: ब्रिटिश भारत के लिए **296** (11 गवर्नर प्रांतों से **292** और मुख्य आयुक्त प्रांतों से **4**) और देशी रियासतों के लिए **93**।

★★ सीटें मोटे तौर पर **हर 10 लाख लोगों पर एक** थीं; हर प्रांत की सीटें **मुसलमान, सिख और सामान्य** मतदाताओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बँटीं।

★★★ **सदस्य कैसे चुने गए**: प्रांतों के सदस्य **प्रांतीय विधान सभाओं** के सदस्यों द्वारा **अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित** हुए, **एकल संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व** से; देशी रियासतों के सदस्य शासकों द्वारा **मनोनीत** होने थे।

★★ इसलिए सभा **आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत** थी, और इसका कोई भी भाग सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था।

★★ **जुलाई-अगस्त 1946 के चुनाव** (ब्रिटिश भारत की 296 सीटें): **कांग्रेस 208**, **मुस्लिम लीग 73**, छोटे समूह और निर्दलीय **15**।

★★★ **विभाजन के बाद**: पाकिस्तान में गए क्षेत्रों के सदस्य चले गए; सभा घटकर **299** रह गई (प्रांतों से 229, देशी रियासतों से 70)।

★★ **महिलाएँ**: संविधान बनाने वाली सभा में **15** महिलाएँ थीं, जिनमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर और अम्मु स्वामीनाथन थीं; **दाक्षायणी वेलायुधन** एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं।

★ **आलोचना**: सीधे निर्वाचित नहीं, ब्रिटिश योजना से बनी, एक दल (कांग्रेस) का वर्चस्व, और बहुत धीमी; समर्थक कहते हैं कि इसमें भारतीय मत के लगभग हर रंग को आवाज़ मिली।

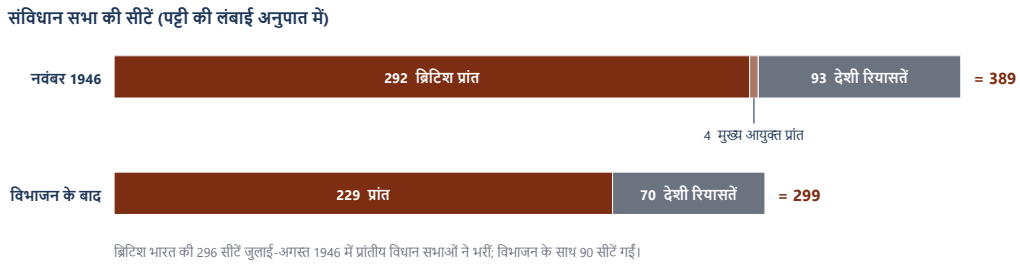

विभाजन से पहले और बाद संविधान सभा की सीटें, पट्टियों की लंबाई अनुपात में।

⚠ **परीक्षा में सावधान: प्रांतों के सदस्य न तो जनता द्वारा सीधे चुने गए, न कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत हुए**: उन्हें **प्रांतीय विधान सभाओं** ने चुना। सार्वभौम वयस्क मताधिकार संविधान के साथ ही आया (अनुच्छेद 326)।

याद रखें: 389 − 90 = 299: विभाजन ने ठीक 90 सीटें घटाईं।

झटपट जाँच

1. प्रांतों से सभा के सदस्य किसने और किस पद्धति से चुने?
2. विभाजन से पहले और बाद सभा की सदस्य संख्या?
3. संविधान सभा का प्रस्ताव पहली बार किसने और कब रखा?

उत्तर: 1. प्रांतीय विधान सभाओं ने; एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व · 2. 389; 299 · 3. एम.एन. रॉय, 1934

सभा ने कैसे काम किया: याद रखने योग्य तिथियाँ

9 दिसंबर 1946 — उद्देश्य प्रस्ताव

22 जुलाई 1947 — ध्वज

26 नवंबर 1949 — 2 वर्ष 11 माह 18 दिन

सभा दिसंबर 1946 से जनवरी 1950 तक चली। 15 अगस्त 1947 के बाद इसकी दो भूमिकाएँ थीं: इसने संविधान लिखा और स्वतंत्र भारत के पहले **विधानमंडल (Legislature)** का काम भी किया। नीचे की तिथियाँ परीक्षक बार-बार पूछते हैं।

★★★ **9 दिसंबर 1946**: पहली बैठक; मुस्लिम लीग अनुपस्थित रही। सबसे वृद्ध सदस्य **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (Sachchidananda Sinha)** फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार **अस्थायी अध्यक्ष (Provisional President)** बने।

★★★ **11 दिसंबर 1946**: **डॉ. राजेंद्र प्रसाद** सभा के **अध्यक्ष** चुने गए। **एच.सी. मुखर्जी** और **वी.टी. कृष्णमाचारी** उपाध्यक्ष रहे।

★★ **बी.एन. राव (B.N. Rau) संवैधानिक सलाहकार** थे; उन्होंने वह पहला प्रारूप तैयार किया जिस पर प्रारूप समिति ने काम किया। **एस.एन. मुखर्जी** सभा के **मुख्य प्रारूपकार** थे।

★★★ **13 दिसंबर 1946**: **नेहरू** ने **उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)** रखा; सभा ने इसे **22 जनवरी 1947** को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसके विचार बाद में प्रस्तावना बने।

★★ **स्वतंत्रता के बाद दो भूमिकाएँ**: संविधान बनाने वाली संस्था के रूप में अध्यक्षता **राजेंद्र प्रसाद** ने की; **डोमिनियन विधानमंडल** के रूप में **जी.वी. मावलंकर** ने। यह 1952 में पहली लोक सभा की बैठक तक **अस्थायी संसद** के रूप में चलती रही।

★★★ **22 जुलाई 1947**: **राष्ट्रीय ध्वज** अपनाया गया।

★ **मई 1949**: सभा ने भारत की **राष्ट्रमंडल (Commonwealth)** सदस्यता की पुष्टि की।

★★ **संविधान का प्रारूप फरवरी 1948** में प्रकाशित; फिर तीन वाचन हुए: पहला नवंबर 1948 में, दूसरा (खंड-दर-खंड) 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तीसरा 14 नवंबर 1949 से।

★★★ **26 नवंबर 1949**: संविधान **अंगीकृत** हुआ, यही तिथि प्रस्तावना में लिखी है। तब इसमें प्रस्तावना, **395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ** थीं। यह दिन **2015** से **संविधान दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

★★ **26 नवंबर 1949 को ही लागू** (अनुच्छेद 394): नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 9), चुनाव (324), अस्थायी संसद (379, 380), कुछ अस्थायी उपबंध, संक्षिप्त नाम (393) और कुछ अन्य।

★★★ **24 जनवरी 1950**: अंतिम बैठक। सदस्यों ने संविधान पर **हस्ताक्षर** किए (**284** हस्ताक्षर), **राष्ट्रगान** और **राष्ट्रगीत** अपनाए, और **राजेंद्र प्रसाद** को भारत का पहला **राष्ट्रपति** चुना।

★★★ **26 जनवरी 1950**: संविधान पूरी तरह लागू हुआ (**गणतंत्र दिवस**); यह तिथि इसलिए चुनी गई कि कांग्रेस ने **26 जनवरी 1930** को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था।

★★★ **लगा समय**: **2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन**, **11 सत्रों** और **165 दिनों** की बैठकों में, जिनमें से **114 दिन** प्रारूप पर लगे।

★ **खर्च**: लगभग **₹64 लाख**। सभा की मुहर पर **हाथी** था।

★ **हस्तलिखित मूल प्रति**: सुलेख **प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा** का; पृष्ठ **नंदलाल बोस** के नेतृत्व में शांतिनिकेतन के कलाकारों ने सजाए, प्रस्तावना का पृष्ठ **ब्योहार राममनोहर सिन्हा** ने। मूल प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में हीलियम भरे बक्सों में रखी हैं।

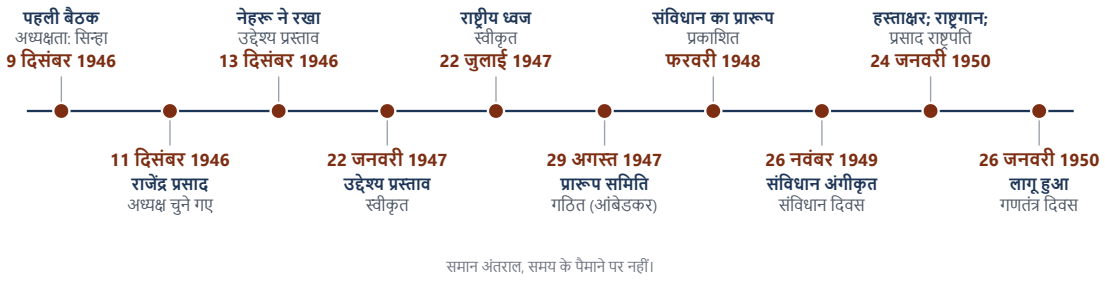

पहली बैठक से गणतंत्र दिवस तक सभा का कैलेंडर।



दिसंबर 1946 में उद्घाटन सत्र में संविधान सभा, उस कक्ष में जिसे अब संविधान सदन (पुराना संसद भवन) का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। चित्र: Unknown author, Wikimedia Commons, Public domain

⚠ **परीक्षा में सावधान: 26 नवंबर 1949** = अंगीकृत (संविधान दिवस, प्रस्तावना में लिखी तिथि)। **26 जनवरी 1950** = लागू (गणतंत्र दिवस)। **प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947** को बनी, 26 नवंबर 1949 को नहीं, इसलिए संविधान दिवस को प्रारूप समिति के गठन से जोड़ने वाला कथन गलत है।

याद रखें: दिसंबर 1946 का विषम-तिथि सप्ताह: 9 (पहली बैठक, सिन्हा), 11 (प्रसाद चुने गए), 13 (नेहरू का प्रस्ताव), हर तिथि दो दिन के अंतर पर।

झटपट जाँच

1. सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
2. राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया?
3. सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा?

उत्तर: 1. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा · 2. 22 जुलाई 1947 · 3. 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन

समितियाँ और प्रारूप समिति

प्रारूप: आंबेडकर

7 सदस्य

नेहरू: संघ

पटेल: अधिकार, प्रांत

कृपलानी: मौलिक अधिकार उप-समिति

लगभग 300 सदस्यों की सभा खंड-दर-खंड नहीं लिख सकती थी, इसलिए उसने **समितियों (Committees)** से काम किया: आठ बड़ी और कई छोटी। उनकी रिपोर्टों पर सदन में बहस हुई, और **प्रारूप समिति (Drafting Committee)** ने निर्णयों को पाठ में बदला।

प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष ★★★

समिति	अध्यक्ष
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
संघ संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
राज्य समिति (देशी रियासतों से वार्ता)	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
प्रक्रिया नियम समिति	राजेंद्र प्रसाद
संचालन समिति	राजेंद्र प्रसाद
प्रारूप समिति	बी.आर. आंबेडकर

उप-समितियाँ और छोटी समितियाँ ★★

समिति	अध्यक्ष
मौलिक अधिकार उप-समिति	जे.बी. कृपलानी
अल्पसंख्यक उप-समिति	एच.सी. मुखर्जी
पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र तथा असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र उप-समिति	गोपीनाथ बारदोलोई
अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र (असम के अतिरिक्त) उप-समिति	ए.वी. ठक्कर
वित्त एवं कर्मचारी समिति	राजेंद्र प्रसाद
राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति	राजेंद्र प्रसाद
प्रत्यय-पत्र समिति	अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
कार्य संचालन समिति	के.एम. मुंशी
सदन समिति	बी. पट्टाभि सीतारमैया
संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति	जी.वी. मावलंकर

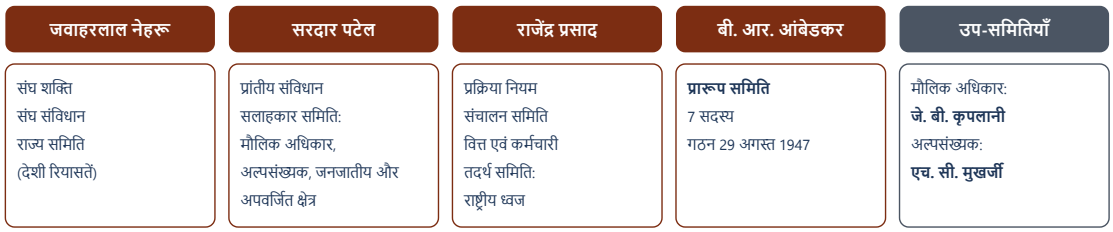

किसने किसकी अध्यक्षता की: नेहरू ने संघ और देशी रियासतें, पटेल ने प्रांत और अधिकार, प्रसाद ने सदन का संचालन, आंबेडकर ने प्रारूप लेखन।

★★★ **प्रारूप समिति**: **29 अगस्त 1947** को **7 सदस्यों** के साथ बनी: **बी.आर. आंबेडकर (B.R. Ambedkar)** (अध्यक्ष), **एन. गोपालस्वामी आयंगर**, **अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर**, **के.एम. मुंशी**, **सैयद मोहम्मद सादुल्ला**, **एन. माधव राव** और **टी.टी. कृष्णमाचारी**।

★★ **सदस्यता में बदलाव**: एन. माधव राव ने **बी.एल. मित्तर** का स्थान लिया, जिन्होंने त्यागपत्र दिया; टी.टी. कृष्णमाचारी ने **डी.पी. खेतान** का स्थान लिया, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई।

★★ संविधान के मुख्य शिल्पकार कहे जाने वाले **आंबेडकर** ने प्रारूप को सभा में आगे बढ़ाया और स्वतंत्र भारत के पहले **विधि मंत्री** बने।

★★ प्रारूप **फरवरी 1948** में प्रकाशित हुआ और वाचन शुरू होने से पहले जनता को टिप्पणी के लिए लगभग आठ महीने मिले।



प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. आंबेडकर 25 नवंबर 1949 को सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को अंतिम प्रारूप सौंपते हुए। चित्र: Unknown author, Wikimedia Commons, Public domain

⚠ **परीक्षा में सावधान:** आंबेडकर **प्रारूप समिति** के अध्यक्ष थे, सभा के नहीं (सभा के अध्यक्ष **राजेंद्र प्रसाद** थे)। अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति **पटेल** की थी; उसकी मौलिक अधिकार **उप-समिति कृपलानी** की। नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य **नहीं** थे।

याद रखें: काम घर की तरह बाँटें: **नेहरू** बाहरी दुनिया संभालते हैं (संघ, राज्य, देशी रियासतें), **पटेल** प्रांत और लोगों के अधिकार, **प्रसाद** घर चलाते हैं (नियम, संचालन, ध्वज, पैसा), **आंबेडकर** सब लिखते हैं।

झटपट जाँच

1. प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, और वह कब बनी?
2. मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
3. प्रारूप समिति में डी.पी. खेतान का स्थान किसने लिया?

उत्तर: 1. 7; 29 अगस्त 1947 · 2. सरदार पटेल · 3. टी.टी. कृष्णमाचारी

प्रमुख विशेषताएँ I: राज्य का ढाँचा

सबसे लंबा

कठोर + लचीला

अर्ध-संघीय

राज्यों का संघ

संसदीय प्रणाली

एकल नागरिकता

चार प्रश्न ढाँचागत विशेषताओं को छाँटते हैं: पाठ कितना लंबा है, उसे बदलना कितना कठिन है, केंद्र और राज्यों में शक्ति कैसे बँटी है, और सरकार कौन चलाता है। भारत के उत्तर हैं: बहुत लंबा, आंशिक रूप से कठोर, शक्तिशाली केंद्र वाला संघीय, और संसदीय।

★★★ विश्व का **सबसे लंबा लिखित संविधान**। 1950 में: प्रस्तावना, **22 भागों में 395 अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियाँ**। नवंबर 2026 तक: **25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 106 बार** संशोधित (नवीनतम: महिलाओं की सीटों पर 106वाँ संशोधन, 2023); अंतिम अनुच्छेद अब भी 395 है, बीच में अक्षर वाले अनुच्छेद जोड़े गए हैं।

★★ **इतना लंबा क्यों**: भारत का आकार और विविधता, **1935 के अधिनियम** का विस्तृत मॉडल, संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान, कमज़ोर वर्गों और क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध, और सभा में बहुत-से वकील।

★★★ **कठोर और लचीला साथ-साथ**: अनुच्छेद 368 में अधिकतर संशोधनों के लिए संसद का **विशेष बहुमत** चाहिए और संघीय उपबंधों के लिए **आधे राज्यों का अनुसमर्थन** भी; कुछ उपबंध साधारण कानून द्वारा **साधारण बहुमत** से बदलते हैं। ब्रिटेन का संविधान लचीला है; अमेरिका का कठोर।

★★★ **एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली (Federal system with a unitary bias)**: दो स्तर की सरकारें, लिखित और सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का बँटवारा, स्वतंत्र न्यायालय और दूसरा सदन संघीय लक्षण हैं; शक्तिशाली केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएँ और आपात शक्तियाँ एकात्मक लक्षण हैं।

★★★ **अनुच्छेद 1** भारत को '**राज्यों का संघ (Union of States)**' कहता है। आंबेडकर ने कारण बताया: संघ राज्यों के बीच **किसी समझौते का परिणाम नहीं** है, और **कोई राज्य अलग नहीं हो सकता**। 'फ़ेडरेशन' शब्द संविधान में कहीं नहीं है।

★★ **उपाधियाँ**: **के.सी. व्हेयर**: 'अर्ध-संघीय (Quasi-federal)'; **आइवर जेनिंग्स**: 'प्रबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ'; **ग्रेनविल ऑस्टिन**: 'सहकारी संघवाद'; **मॉरिस-जोन्स**: 'सौदेबाज़ी संघवाद'। उच्चतम न्यायालय ने **एस.आर. बोम्मई (1994)** में संघवाद को मूल ढाँचे का भाग माना।

★★ **संसद राज्यों का नक्शा बदल सकती है** (अनुच्छेद 3), साधारण कानून से, राज्य की सहमति के बिना; इसीलिए भारत को 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' कहा जाता है।

★★★ केंद्र और राज्यों में **संसदीय सरकार (Parliamentary government)** (ब्रिटिश या वेस्टमिंस्टर मॉडल): **नाममात्र का प्रमुख** (राष्ट्रपति, राज्यपाल) और **वास्तविक कार्यपालिका** (प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और मंत्री), मंत्री विधानमंडल से, निचले सदन के प्रति **सामूहिक उत्तरदायित्व** (अनुच्छेद 75(3), 164(2)), और निचले सदन को भंग करने की शक्ति।

★★ **ब्रिटेन से अंतर**: भारत का राष्ट्राध्यक्ष **निर्वाचित** है (गणतंत्र, राजतंत्र नहीं), और संसद **संप्रभु नहीं** है: वह लिखित संविधान और न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन काम करती है।

★★★ **संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का मेल**: संसद संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है, और न्यायालय कानून रद्द कर सकते हैं; दोनों में से कोई भी निरंकुश नहीं, क्योंकि **मूल ढाँचा** सिद्धांत (**केशवानंद भारती, 1973**) संशोधनों को सीमित करता है।

★★ **एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका**: एक ही पदानुक्रम, शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जो केंद्र और राज्य दोनों के कानून लागू करते हैं (अमेरिका में दो अलग न्यायालय-व्यवस्थाएँ हैं)। निश्चित कार्यकाल और संचित निधि पर भारित वेतन न्यायाधीशों को स्वतंत्र रखते हैं।

★★★ **एकल नागरिकता (Single citizenship)**: हर भारतीय केवल भारत का नागरिक है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं (अमेरिका में दोहरी नागरिकता है)।

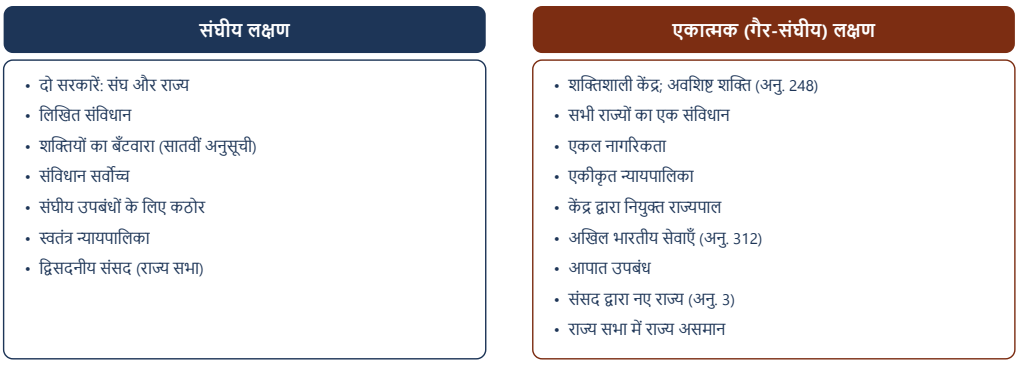

एक ही संविधान, दो तरह से छाँटा गया: बाईं ओर संघीय लक्षण, दाईं ओर एकात्मक लक्षण।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** 'फ़ेडरेशन' शब्द पाठ में नहीं है; अनुच्छेद 1 कहता है **'राज्यों का संघ'**। और संसदीय प्रणाली ब्रिटिश होते हुए भी **संसदीय संप्रभुता** पूरी तरह नहीं ली गई: भारतीय कानूनों को न्यायालय रद्द कर सकते हैं।

याद रखें: अलग रसोई वाला संयुक्त परिवार: हर राज्य अपना खाना पकाता है (राज्य सूची), कुछ व्यंजन साझा हैं (समवर्ती सूची), और संकट में परिवार का मुखिया पूरा घर संभाल लेता है (आपात स्थिति)।

☑ झटपट जाँच

1. भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' किसने कहा?
2. अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहता है?
3. संविधान के दो एकात्मक लक्षण बताइए।

उत्तर: 1. के.सी. व्हेयर · 2. राज्यों का संघ · 3. जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल, आपात शक्तियाँ

प्रमुख विशेषताएँ II: अधिकार, कर्तव्य और सुरक्षा-उपाय

छह मौलिक अधिकार

निदेशक तत्व: अनोखी विशेषता

51A कर्तव्य

पंथनिरपेक्ष राज्य

61वाँ: आयु 18

विधि का शासन

विशेषताओं का दूसरा समूह नागरिक और व्यवस्था की रक्षा करता है: न्यायालय द्वारा लागू अधिकार, राज्य के लिए लक्ष्य, नागरिकों के कर्तव्य, सरकार से दूरी रखकर काम करने वाली संस्थाएँ, और **विधि का शासन (Rule of law)** जो स्वयं सरकार को बाँधता है।

★★★ **मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)** (भाग III, अनुच्छेद 12 से 35): आज **छह** (समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचार)। मूल रूप से सात: **44वें संशोधन (1978)** ने संपत्ति का अधिकार हटाया, जो अब **अनुच्छेद 300A** में विधिक अधिकार है। **अनुच्छेद 32** (उच्चतम न्यायालय) और **अनुच्छेद 226** (उच्च न्यायालय) से लागू।

★★★ **राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles)** (भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51): न्यायालय में लागू नहीं, फिर भी 'देश के शासन में मूलभूत' (अनुच्छेद 37)। आंबेडकर ने इन्हें **'अनोखी विशेषता' (Novel feature)** कहा। **मिनर्वा मिल्स (1980)**: मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों का संतुलन मूल ढाँचे का भाग है।

★★★ **मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)** (भाग IVA, अनुच्छेद 51A): **स्वर्ण सिंह समिति** की सलाह पर **42वें संशोधन (1976)** से जोड़े गए; पहले दस, ग्यारहवाँ (माता-पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें) **86वें संशोधन (2002)** से; न्यायालय द्वारा लागू नहीं।

★★ **पंथनिरपेक्ष राज्य (Secular State)**: कोई राजकीय धर्म नहीं; सभी धर्मों का समान सम्मान (**सकारात्मक पंथनिरपेक्षता**)। 'पंथनिरपेक्ष' शब्द **1976** में प्रस्तावना में आया, पर अनुच्छेद 25 से 28 ने राज्य को 1950 से ही पंथनिरपेक्ष बनाया।

★★★ **सार्वभौम वयस्क मताधिकार (Universal adult franchise)** (अनुच्छेद 326): **18** वर्ष या अधिक आयु का हर नागरिक मत दे सकता है, संपत्ति, शिक्षा या लिंग की किसी शर्त के बिना। **61वें संशोधन अधिनियम, 1988** तक यह आयु **21** थी।

★★ **स्वतंत्र संस्थाएँ**: **निर्वाचन आयोग** (अनुच्छेद 324), **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** (अनुच्छेद 148), **संघ लोक सेवा आयोग** और राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) और **वित्त आयोग** (अनुच्छेद 280) को कार्यकाल और वेतन का संवैधानिक संरक्षण है।

★★ **आपात उपबंध (Emergency provisions)** (भाग XVIII): राष्ट्रीय आपात (**अनुच्छेद 352**), राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (**अनुच्छेद 356**, राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपात (**अनुच्छेद 360**)। आपात में केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है; **अनुच्छेद 20 और 21** को छोड़कर अन्य अधिकार निलंबित हो सकते हैं।

★★ **सरकार के तीन स्तर**: **73वें और 74वें संशोधनों (1992)** ने **पंचायतों** (भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची) और **नगरपालिकाओं** (भाग IXA, बारहवीं अनुसूची) को संवैधानिक दर्जा दिया।

★ **सहकारी समितियाँ**: **97वें संशोधन (2011)** ने सहकारी समिति बनाना अधिकार बनाया (अनुच्छेद 19(1)(c)), अनुच्छेद 43B और भाग IXB जोड़े। **2021** में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सहकारी समितियों के लिए भाग IXB रद्द किया (इसे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए था); बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए यह बना हुआ है।

★★★ **विधि का शासन** (**ए.वी. डायसी (A.V. Dicey)**, ब्रिटेन) के तीन भाग हैं: **विधि की सर्वोच्चता** (कोई मनमानी शक्ति नहीं; दंड केवल कानून तोड़ने पर), **विधि के समक्ष समता (Equality before law)** (अधिकारी और नागरिक एक ही कानून और न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी), और **न्यायालयों के निर्णयों से निकलने वाले अधिकार**। इसके लक्षण हैं **शक्ति पर सीमा, विधि के समक्ष समता, और स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों का संरक्षण**।

★★★ **भारत में विधि का शासन**: पहले दो भाग लागू होते हैं (**अनुच्छेद 14**, न्यायिक पुनर्विलोकन); तीसरा नहीं, क्योंकि भारतीय अधिकार लिखित संविधान (भाग III) से आते हैं, न्यायाधीशों के निर्णयों से नहीं।

★★ **अनुच्छेद 14** दो विचार जोड़ता है: **ब्रिटेन** से '**विधि के समक्ष समता**' और **अमेरिका** से '**विधियों का समान संरक्षण (Equal protection of the laws)**'।

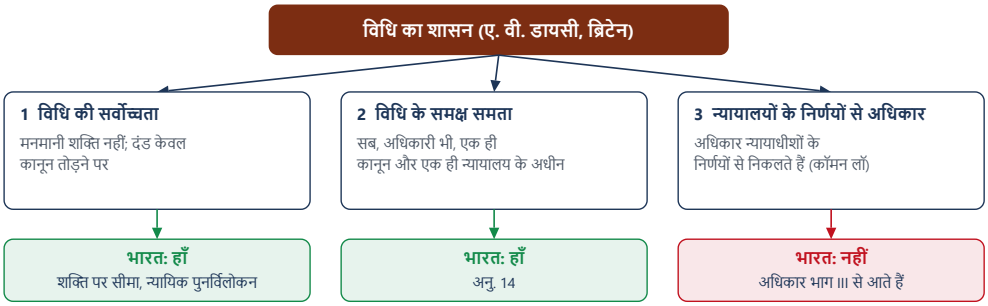

डायसी के विधि के शासन के तीन भाग और भारत हर भाग को कितना लागू करता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** '**सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व**' विधि के शासन का लक्षण नहीं है; विधि का शासन **सरकार** को कानून के प्रति उत्तरदायी बनाता है। और: विधि के समक्ष समता **ब्रिटिश** है, विधियों का समान संरक्षण **अमेरिकी**।

याद रखें: 86वें संशोधन (2002) ने एक बच्चे के लिए तीन काम किए: एक अधिकार (**अनुच्छेद 21A**, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा), एक लक्ष्य (**अनुच्छेद 45**, 6 वर्ष से कम की देखभाल) और माता-पिता का कर्तव्य (**अनुच्छेद 51A(k)**)।

झटपट जाँच

1. विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया, और हमारा कौन-सा अनुच्छेद इसे धारण करता है?
2. किस संशोधन ने मतदान की आयु घटाकर 18 की?
3. किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य जोड़े, और किसकी सलाह पर?

उत्तर: 1. ए.वी. डायसी; अनुच्छेद 14 · 2. 61वाँ संशोधन अधिनियम, 1988 · 3. 42वाँ (1976), स्वर्ण सिंह समिति

उधार ली गई विशेषताएँ: कौन-सा विचार कहाँ से आया

अमेरिका: मौलिक अधिकार

आयरलैंड: निदेशक तत्व

ब्रिटेन: विधि का शासन

कनाडा: शक्तिशाली केंद्र

ऑस्ट्रेलिया: समवर्ती सूची

सोवियत संघ: कर्तव्य

सभा ने लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया और भारत के अनुकूल विचार लेकर उन्हें ढाला। आलोचकों ने इसे 'उधार का थैला' कहा; आंबेडकर ने उत्तर दिया कि संविधान के मूल विचार सबकी साझी संपत्ति हैं, महत्व उन्हें देश के अनुरूप ढालने का है। मोटे तौर पर: **ढाँचा 1935 के अधिनियम** से, **दर्शन** (अधिकार और निदेशक तत्व) **अमेरिकी और आयरिश** पाठों से, **राजनीतिक प्रणाली ब्रिटेन** से आई।

संविधान के स्रोत ★★★

स्रोत	ली गई विशेषताएँ
भारत शासन अधिनियम 1935	संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण
ब्रिटेन	संसदीय शासन, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधि-निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता
अमेरिका	मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, विधियों का समान संरक्षण
आयरलैंड	राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य सभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति
कनाडा	शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
जर्मनी (वाइमर गणराज्य)	आपात स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन
सोवियत संघ	मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आदर्श
फ्रांस	गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श
दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन
जापान	'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (अनुच्छेद 21)



हर स्रोत की एक टाइल: हर टाइल की पहली पंक्ति वह विशेषता है जो सबसे अधिक पूछी जाती है।

★★★ केंद्र और राज्यों के बीच **शक्तियों का बँटवारा** (तीन सूचियाँ) **भारत शासन अधिनियम 1935** पर आधारित है, 1909, 1919 या 1947 के अधिनियमों पर नहीं।

★★★ **मौलिक अधिकार** और **न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review)**: **अमेरिका** से (उसका अधिकार-पत्र)।

★★★ **निदेशक तत्व**: **आयरलैंड** (1937 का संविधान) से, जिसने यह विचार **स्पेन** से लिया था।

★★ स्वयं **प्रस्तावना**: प्रस्तावना से आरंभ करने का विचार, और 'हम, लोग' शब्द, **अमेरिका** से आए।

याद रखें: ऑस्ट्रेलिया के तीन C: Concurrent List (समवर्ती सूची), Commerce (व्यापार की स्वतंत्रता), Combined (संयुक्त) बैठक। **आयरलैंड का DNP**: Directive principles (निदेशक तत्व), Nomination (राज्य सभा में मनोनयन), President's election (राष्ट्रपति का निर्वाचन)।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** एक योजना के रूप में **आपात उपबंध 1935 के अधिनियम** से आए; केवल आपात में **मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी** से है। '**विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law)**' जापानी है; 'विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due process)' अमेरिकी है और पाठ में नहीं है, यद्यपि **मेनका गांधी (1978)** के बाद न्यायालयों ने इसे पढ़ लिया।

झटपट जाँच

1. निदेशक तत्व किस देश से लिए गए?
2. समवर्ती सूची किस स्रोत से आई? और संशोधन प्रक्रिया?
3. मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से आए?

उत्तर: 1. आयरलैंड · 2. ऑस्ट्रेलिया; दक्षिण अफ्रीका · 3. अमेरिका

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (14)

UPSC 2012 भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है?
(a) मोरले-मिन्टो सुधार, 1909 (b) मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919 (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
उत्तर: (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935. संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई हैं

UPSC 2013 भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में, प्रान्तों से संविधान सभा के सदस्य
(a) उन प्रान्तों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे (b) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे
(c) प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे (d) सरकार द्वारा, संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे
उत्तर: (c) प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे. संविधान सभा के प्रांतीय सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे

UPSC 2018 भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं ?
(a) संघीय विधान-मण्डल को (b) गवर्नर जनरल को (c) प्रांतीय विधान-मण्डल को (d) प्रांतीय राज्यपालों को
उत्तर: (b) गवर्नर जनरल को. भारत शासन अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल को दीं; संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं (अनुच्छेद 248)

UPSC 2018 निम्नलिखित में से किनको "विधि के शासन" के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा ?
1. शक्तियों का परिसीमन
2. विधि के समक्ष समता
3. सरकार के प्रति जन-उत्तरदायित्व
4. स्वतन्त्रता और नागरिक अधिकार
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4 (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (c) केवल 1, 2 और 4. विधि का शासन: सीमित शक्ति, विधि के समक्ष समता और अधिकारों का संरक्षण

UPSC 2023 संविधान दिवस के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
कथन-I :
नागरिकों के बीच सांविधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।
कथन-II :
26 नवंबर, 1949 को, भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ० बी० आर० अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई।
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है
(d) कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है
उत्तर: (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है. संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को संविधान अंगीकृत किया; बी० आर० अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी

UPSC 2024 डॉ. राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे ?
(a) सी. राजगोपालाचारी (b) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (c) टी.टी. कृष्णमाचारी (d) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
उत्तर: (d) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा. डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे

BPSC 60th-62nd भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है
(a) 26 अक्तूबर (b) 26 नवम्बर (c) 26 जनवरी (d) 15 अगस्त (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) 26 नवम्बर. संविधान दिवस, 26 नवंबर, 1949 में संविधान अंगीकृत होने की याद में मनाया जाता है

BPSC 66th ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन-सा कानून ऐतिहासिक नहीं था?
(a) रेग्युलेटिंग ऐक्ट, 1773 (b) चार्टर ऐक्ट, 1833 (c) गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1919 (d) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऐक्ट, 1955
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (d) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऐक्ट, 1955. रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हुआ; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अनुच्छेद 17 को लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद का कानून है

BPSC 67th re-exam डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया
(a) दिसम्बर 1946 ई० में (b) सितम्बर 1946 ई० में (c) अक्तूबर 1946 ई० में (d) नवम्बर 1946 ई० में
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) दिसम्बर 1946 ई० में. राजेन्द्र प्रसाद 11 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए

BPSC 68th भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ 'कानून के समक्ष समानता' किस देश के संविधान से लिया गया है?
(a) ब्रिटेन (b) यू० एस० ए० (c) फ्रांस (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (a) ब्रिटेन. विधि के समक्ष समता ब्रिटिश विधि के शासन से और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया

BPSC 68th भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा?
(a) 1 वर्ष 10 माह और 12 दिन (b) 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन (c) 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (c) 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन. संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे

BPSC 69th भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी?
(a) इंग्लैंड (b) स्विट्जरलैंड (c) आयरलैंड (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (c) आयरलैंड. राज्य के नीति-निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए

BPSC 69th भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का सन्दर्भ किस देश से लिया गया है?
(a) आयरलैंड (b) संयुक्त राज्य अमेरिका (c) यूनाइटेड किंगडम (d) कनाडा
उत्तर: (b) संयुक्त राज्य अमेरिका. मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिकी संविधान से लिए गए

BPSC 70th संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया ?
(a) 24 जनवरी 1950 (b) 26 नवम्बर 1950 (c) 22 जुलाई 1947 (d) 26 जनवरी 1950
उत्तर: (c) 22 जुलाई 1947. संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया

स्वयं को परखें (12)

1. संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा?
(a) राजेंद्र प्रसाद (b) जवाहरलाल नेहरू (c) बी.आर. आंबेडकर (d) सरदार पटेल

2. कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
(a) रेग्युलेटिंग ऐक्ट 1773: कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (b) चार्टर ऐक्ट 1833: भारत का गवर्नर-जनरल
(c) भारतीय परिषद अधिनियम 1909: प्रांतों में द्वैध शासन (d) भारत शासन अधिनियम 1858: भारत सचिव

3. भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रावधानित संघीय न्यायालय ने काम शुरू किया
(a) 1935 (b) 1937 (c) 1947 (d) 1950

4. विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या थी
(a) 389 (b) 299 (c) 296 (d) 324

5. निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
(a) के.एम. मुंशी (b) टी.टी. कृष्णमाचारी (c) जवाहरलाल नेहरू (d) सैयद मोहम्मद सादुल्ला

6. के.सी. व्हेयर ने भारतीय संविधान को कहा
(a) सहकारी संघवाद (b) अर्ध-संघीय (c) सौदेबाज़ी संघवाद (d) परिसंघ

7. भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान पर आधारित है?
(a) कनाडा (b) ऑस्ट्रेलिया (c) अमेरिका (d) आयरलैंड

8. मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई
(a) 42वें संशोधन द्वारा (b) 44वें संशोधन द्वारा (c) 61वें संशोधन द्वारा (d) 73वें संशोधन द्वारा

9. इनमें से कौन-से उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए?
(a) नागरिकता (b) मौलिक अधिकार (c) निदेशक तत्व (d) आपात उपबंध

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे।
2. संविधान सभा का गठन 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्तावों के अंतर्गत हुआ था।
3. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा 11 दिसंबर 1946 को सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
अधिनियम : प्रावधान
1. चार्टर ऐक्ट 1853 : सिविल सेवाएँ खुली प्रतियोगिता के लिए खुलीं
2. भारतीय परिषद अधिनियम 1892 : मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल
3. भारत शासन अधिनियम 1919 : द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

12. 1950 में अज्ञात एक नया विषय सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में से किसी में नहीं है। एक राज्य विधानमंडल और संसद दोनों उस पर कानून बनाना चाहते हैं। कानून कौन बना सकता है?
(a) केवल राज्य विधानमंडल, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं (b) दोनों, टकराव होने पर संघ का कानून प्रभावी रहेगा
(c) केवल संसद, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत (d) कोई नहीं, जब तक संशोधन से विषय किसी सूची में न जुड़े

उत्तर: 1. (b) नेहरू ने इसे 13 दिसंबर 1946 को रखा; यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ। · 2. (c) प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 से आया; 1909 के अधिनियम ने पृथक निर्वाचक मंडल दिया। · 3. (b) यह 1937 में बना; जनवरी 1950 में उच्चतम न्यायालय ने इसका स्थान लिया। · 4. (b) कैबिनेट मिशन योजना की 389 सीटें घटकर 299 रह गईं (229 प्रांत + 70 देशी रियासतें)। · 5. (c) नेहरू संघ शक्ति, संघ संविधान और राज्य समितियों के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के नहीं। · 6. (b) सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन का शब्द है; सौदेबाज़ी संघवाद मॉरिस-जोन्स का। · 7. (b) ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संयुक्त बैठक आईं। · 8. (c) 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 बदला। · 9. (a) अनुच्छेद 394 ने नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 9), चुनाव, अस्थायी संसद और कुछ अन्य उपबंध तुरंत लागू किए; शेष 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। · 10. (a) प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए; सभा कैबिनेट मिशन योजना (1946) से बनी, क्रिप्स (1942) से नहीं, और सिन्हा केवल अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। · 11. (b) युग्म 1 और 3 सही हैं; मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल 1909 के मॉर्ले-मिंटो अधिनियम से आया, 1892 के अधिनियम से नहीं। · 12. (c) अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं (अनुच्छेद 248, संघ सूची की प्रविष्टि 97); इन्हें राज्यों के पास छोड़ना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था है, और 1935 के अधिनियम ने इन्हें गवर्नर-जनरल को दिया था।

अध्याय 2

प्रस्तावना

1976 में जोड़े गए शब्द, 26 जनवरी 1950 को भारत की स्थिति, प्रस्तावना में क्या है और क्या नहीं, और क्या यह संविधान का भाग है (बेरुबारी, केशवानंद): ये हर कुछ वर्षों में पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 7 बार पूछा गया: UPSC 5 · BPSC 2

≈ 23 min पढ़ने में ≈ 5 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 | दिन 3 | दिन 7 | दिन 21

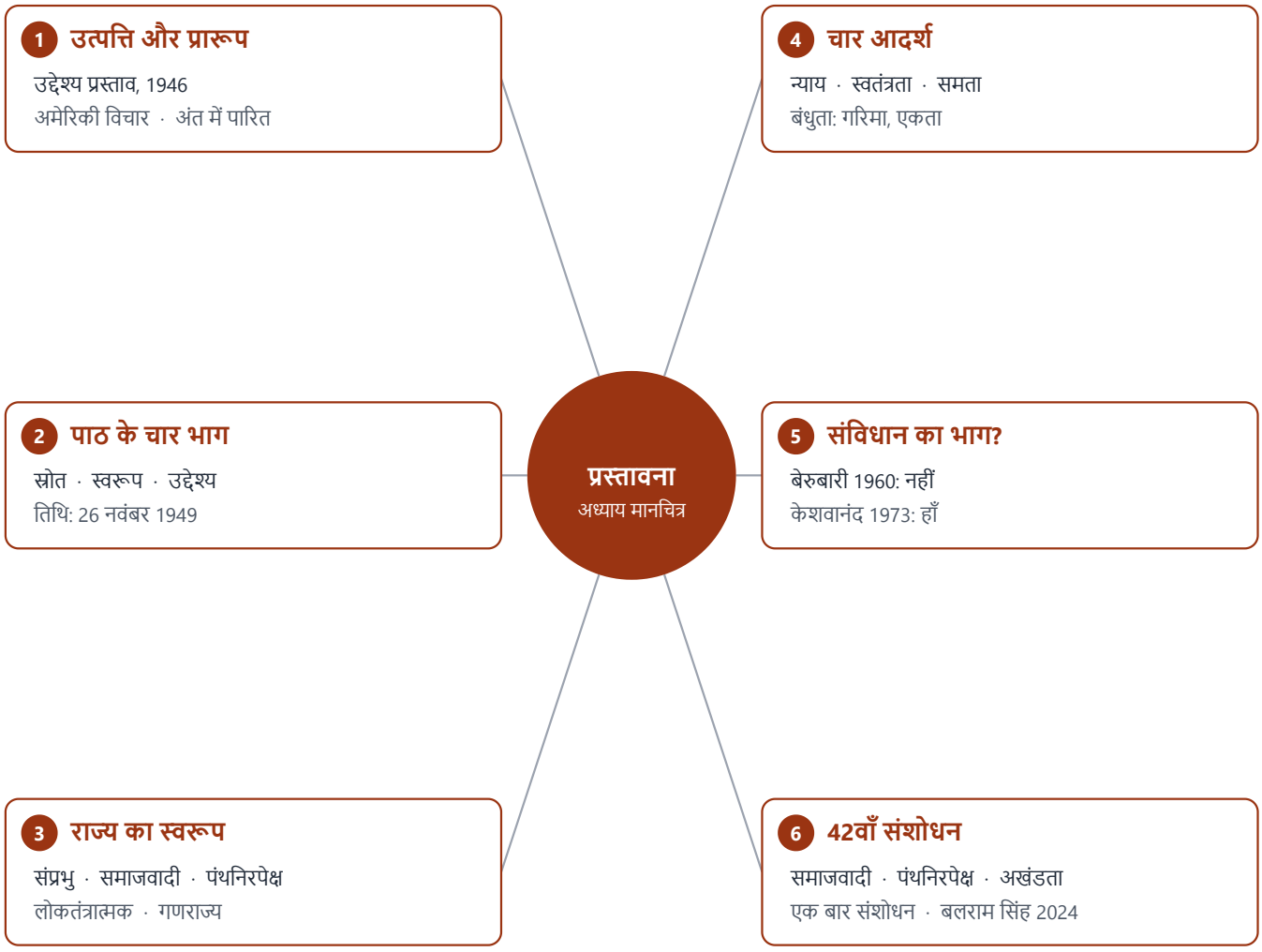

रिवीज़न कार्ड

1. प्रस्तावना = **स्रोत** (हम, भारत के लोग) + **स्वरूप** (संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य) + **उद्देश्य** (न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता) + **तिथि** (**26 नवंबर 1949**)।
2. नेहरू के **उद्देश्य प्रस्ताव** पर आधारित (13 दिसंबर 1946 को रखा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत); प्रस्तावना से आरंभ करना **अमेरिकी** विचार है।
3. **26 जनवरी 1950** को भारत एक '**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य**' था।
4. संशोधन **एक बार**: **42वें संशोधन (1976)** ने **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष** और **अखंडता** जोड़े।
5. **न्याय**: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। **स्वतंत्रता**: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। **समता**: प्रतिष्ठा और अवसर की। **बंधुता**: व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता।
6. न्याय, स्वतंत्रता, समता **प्राप्त कराने** की बात है; बंधुता **बढ़ाने** की।
7. **आर्थिक** शब्द केवल **न्याय** के साथ आता है; 'आर्थिक स्वतंत्रता' नहीं है। आर्थिक न्याय **प्रस्तावना और निदेशक तत्वों** में है।
8. स्वतंत्रता, समता, बंधुता: **फ्रांस**; न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक): **रूसी क्रांति**।
9. **बेरुबारी (1960)**: संविधान का भाग नहीं; **केशवानंद (1973)**: भाग है; **एलआईसी (1995)**: अभिन्न भाग।
10. संविधान का भाग, पर अपने आप में न्यायालय द्वारा **प्रवर्तनीय नहीं**; न शक्ति का स्रोत, न उस पर सीमा।
11. '**संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी**' (उच्चतम न्यायालय); 'पहचान-पत्र' (पालकीवाला); 'राजनीतिक जन्मपत्री' (के.एम. मुंशी); 'मूल स्वर' (अर्नेस्ट बार्कर)।
12. **एस.आर. बोम्मई (1994)**: पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचा है। **बलराम सिंह (2024)**: 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' के विरुद्ध याचिकाएँ खारिज।

प्रस्तावना क्या है और हमारी प्रस्तावना कैसे लिखी गई

उद्देश्य प्रस्ताव

13 दिसंबर 1946

सबसे अंत में पारित

अमेरिकी विचार

निर्माताओं के मन की कुंजी

प्रस्तावना (Preamble) अनुच्छेदों से पहले रखा गया **परिचय** है। हमारी प्रस्तावना पूरे संविधान का दर्शन एक वाक्य में समेटती है: इसे कौन देता है, यह कैसा राज्य बनाती है, उस राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और इसे कब अंगीकृत किया गया। न्यायालय इसे सीधे लागू नहीं कर सकते, पर अस्पष्ट उपबंधों को इसके प्रकाश में पढ़ते हैं।

★★★ **उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution)**: **जवाहरलाल नेहरू** ने **13 दिसंबर 1946** को रखा, **22 जनवरी 1947** को सर्वसम्मति से स्वीकृत। प्रस्तावना इसी से निकली।

★★ प्रस्ताव में एक '**स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य**' की बात थी, जिसकी सत्ता **जनता** से आती है, और **अल्पसंख्यकों**, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दलित वर्गों के लिए सुरक्षा-उपायों का वचन था।

★★ **बंधुता (Fraternity)** प्रस्ताव में नहीं थी; **प्रारूप समिति** ने इसे प्रस्तावना के प्रारूप में जोड़ा (फरवरी 1948)।

★★ सभा ने प्रस्तावना को **सबसे अंत में**, **17 अक्टूबर 1949** को लिया, ताकि यह पहले से तय संविधान से मेल खाए। **एच.वी. कामत** का 'ईश्वर के नाम पर' से आरंभ करने का प्रस्ताव मतदान में गिर गया।

★★★ शेष संविधान के साथ **26 नवंबर 1949** को अंगीकृत (यही तिथि इसमें लिखी है); **26 जनवरी 1950** से लागू।

★★★ **प्रस्तावना का विचार**: **अमेरिकी संविधान** पहला था जो प्रस्तावना से आरंभ हुआ, 'We the People' से।

★ हस्तलिखित मूल प्रति में प्रस्तावना का पृष्ठ **ब्योहार राममनोहर सिन्हा** ने सजाया; **प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा** ने अंग्रेज़ी पाठ लिखा।

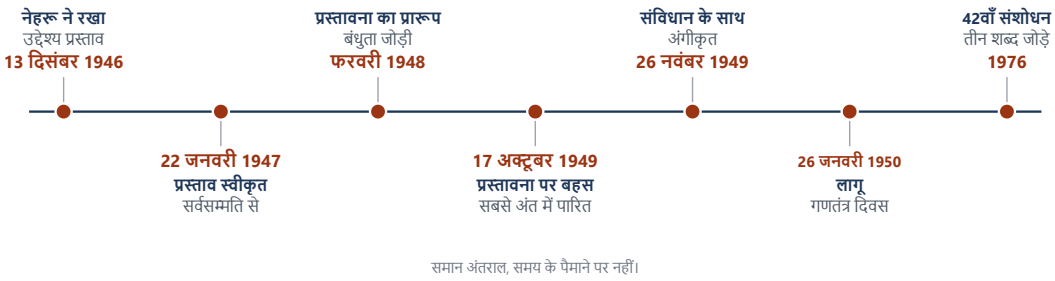

नेहरू के प्रस्ताव से 42वें संशोधन तक: प्रस्तावना की अपनी तिथियाँ।

प्रस्तावना का वर्णन कैसे किया गया ★★

किसने	वर्णन
उच्चतम न्यायालय (बेरुबारी, 1960)	निर्माताओं के मन को खोलने की कुंजी
अर्नेस्ट बार्कर	संविधान का 'मूल स्वर'
एन.ए. पालकीवाला	संविधान का 'पहचान-पत्र'
के.एम. मुंशी	हमारे संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य की 'राजनीतिक जन्मपत्री'
ठाकुरदास भार्गव	संविधान की 'आत्मा' और सबसे मूल्यवान भाग
एम. हिदायतुल्ला	अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जैसी, पर उससे अधिक: हमारे संविधान की आत्मा

⚠ **परीक्षा में सावधान: 'निर्माताओं का मन' प्रस्तावना** की ओर संकेत करता है, मौलिक अधिकारों या निदेशक तत्वों की ओर नहीं।

याद रखें: SNOD प्रस्तावना का सार है: **S**ource (स्रोत: हम, भारत के लोग), **N**ature (स्वरूप: पाँच शब्द), **O**bjectives (उद्देश्य: चार आदर्श), **D**ate (तिथि: 26 नवंबर 1949)।

झटपट जाँच

1. उद्देश्य प्रस्ताव किसने और किस तिथि को रखा?
2. किस देश का संविधान सबसे पहले प्रस्तावना से आरंभ हुआ?
3. प्रस्तावना में कौन-सी तिथि लिखी है?

उत्तर: 1. नेहरू, 13 दिसंबर 1946 · 2. अमेरिका · 3. 26 नवंबर 1949

प्रस्तावना के शब्द, पंक्ति-दर-पंक्ति

हम, भारत के लोग

पाँच शब्दों का क्रम

प्राप्त कराना बनाम बढ़ाना

26 नवंबर 1949

आत्मार्पित

प्रस्तावना को भारत के लोगों द्वारा बोले गए एक वाक्य की तरह पढ़ें। यह आरंभ करती है कि **कौन** बोल रहा है, फिर बताती है कि वे **कैसा राज्य** बना रहे हैं, उसे **क्या प्राप्त कराना** है, और वे **कब और कैसे** संविधान अंगीकृत करते हैं।



आज की प्रस्तावना, उसके चार भागों में। रंगीन शब्द 1976 में जोड़े गए।

★★★ **'हम, भारत के लोग'**: संविधान के पीछे की सत्ता **जनता** है (लोकप्रिय संप्रभुता), न कोई राजा, न ब्रिटिश संसद।

★★★ **पाँच शब्दों का क्रम**: **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य**।

★★★ लोग सभी नागरिकों को **न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने** का, और उन सबमें **बंधुता बढ़ाने** का संकल्प करते हैं।

★★★ **बंधुता** दो बातें सुनिश्चित करती है: **व्यक्ति की गरिमा** और **राष्ट्र की एकता और अखंडता**।

★★ **अधिनियमन के शब्द**: 'अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख छब्बीस नवंबर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को **अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित** करते हैं'।

★★ '**आत्मार्पित**' संविधान को **स्वयं को दिया हुआ** बनाता है, **भारत शासन अधिनियम 1935** के विपरीत, जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था।

★★ जो शब्द प्रस्तावना में **नहीं** हैं: **संघीय**, **कल्याणकारी**, **संसदीय**, **आर्थिक स्वतंत्रता**, **आर्थिक समता**।

याद रखें: 1976 के दो शब्द मूल तीन शब्दों के **भीतर** भरावन की तरह बैठे हैं: संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न **[समाजवादी पंथनिरपेक्ष]** लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भरावन निकाल दें तो 1950 का पाठ मिल जाता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** विकल्प अक्सर क्रम बदल देते हैं ('संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य')। वास्तविक क्रम में **समाजवादी** और **पंथनिरपेक्ष** संप्रभु और लोकतंत्रात्मक के बीच आते हैं।

झटपट जाँच

1. पाँच शब्दों में से कौन-से दो क्रम के बीच में हैं?
2. बंधुता कौन-सी दो बातें सुनिश्चित करती है?
3. कौन-से आदर्श 'प्राप्त कराए' जाते हैं और कौन-सा 'बढ़ाया' जाता है?

उत्तर: 1. समाजवादी और पंथनिरपेक्ष (1976 में जोड़े) · 2. व्यक्ति की गरिमा; राष्ट्र की एकता और अखंडता · 3. न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराए जाते हैं; बंधुता बढ़ाई जाती है

संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य

संप्रभु

लोकतांत्रिक समाजवाद

सकारात्मक पंथनिरपेक्षता

ये पाँच शब्द **भारतीय राज्य के स्वरूप** का वर्णन करते हैं। तीन 1949 में थे; 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' 42वें संशोधन से लिखे गए, यद्यपि ये विचार शुरू से संविधान में थे (निदेशक तत्व, अनुच्छेद 25 से 28)।

एस.आर. बोम्मई 1994

गणराज्य: निर्वाचित प्रमुख

प्रस्तावना जिस राज्य का वर्णन करती है, उसी के क्रम में (टैग: शब्द पाठ में आने का वर्ष)

संप्रभु 1950	समाजवादी 1976	पंथनिरपेक्ष 1976	लोकतंत्रात्मक 1950	गणराज्य 1950
देश-विदेश में स्वतंत्र; भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं	लोकतांत्रिक समाजवाद: मिश्रित अर्थव्यवस्था, कम असमानता	कोई राजधर्म नहीं; सभी धर्मों का समान सम्मान (सकारात्मक)	सत्ता जनता के पास; निर्वाचित प्रतिनिधि	राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित (राष्ट्रपति, 5 वर्ष); कोई वंशानुगत पद नहीं

प्रस्तावना के क्रम में पाँच शब्द, हर एक के पाठ में आने के वर्ष के साथ।

★★★ **संप्रभु (Sovereign)**: भारत अपने **आंतरिक और बाहरी** मामले स्वयं तय करता है; कोई बाहरी शक्ति उसके ऊपर नहीं है। यह किसी का आश्रित या डोमिनियन नहीं है।

★★ **राष्ट्रमंडल** या **संयुक्त राष्ट्र** की सदस्यता संप्रभुता को सीमित नहीं करती; ब्रिटिश सम्राट राष्ट्रमंडल का केवल प्रतीकात्मक प्रमुख है।

★★ भारत क्षेत्र **सौंप** सकता है, पर इसके लिए **संविधान संशोधन** चाहिए (बेरुबारी संदर्भ, 1960; **9वाँ संशोधन**)।

★★★ **समाजवादी (Socialist)** (1976): **लोकतांत्रिक समाजवाद**, चुनाव और निजी संपत्ति बनाए रखते हुए कानून और कल्याण से असमानता घटाना; **मिश्रित अर्थव्यवस्था**, हर चीज़ पर राज्य का स्वामित्व नहीं।

★★ भारतीय समाजवाद **मार्क्सवादी** और **गांधीवादी** विचारों का मिश्रण है। लक्ष्य शब्द से पुराना है: कांग्रेस के **आवडी अधिवेशन (1955)** ने 'समाजवादी ढंग का समाज' अपनाया था।

★ **डी.एस. नाकरा (1983)**: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समाजवाद का अर्थ कामगारों के लिए सम्मानजनक जीवन और सुरक्षा है।

★★★ **पंथनिरपेक्ष (Secular)** (1976): राज्य का **अपना कोई धर्म नहीं** है और वह सभी धर्मों से समान व्यवहार करता है (**सर्व धर्म समभाव**)। भारतीय पंथनिरपेक्षता **सकारात्मक** है: राज्य धार्मिक प्रथाओं में सुधार कर सकता है (अनुच्छेद 17, 25(2)), राज्य और धर्म के बीच कठोर दीवार के विपरीत।

★★★ **एस.आर. बोम्मई (1994)**: पंथनिरपेक्षता **मूल ढाँचे** का भाग है।

★★ '**समाजवादी**' और '**पंथनिरपेक्ष**' में से किसी की भी परिभाषा संविधान में कहीं नहीं है।

★★ **लोकतंत्रात्मक (Democratic)**: शक्ति जनता में निहित है, जो **सार्वभौम वयस्क मताधिकार** (अनुच्छेद 326) पर **निर्वाचित प्रतिनिधियों** के माध्यम से शासन करती है (अप्रत्यक्ष, संसदीय लोकतंत्र)। इस शब्द में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तीनों आते हैं।

★ **प्रत्यक्ष लोकतंत्र** के साधन (जनमत संग्रह, उपक्रम, प्रत्याह्वान, जनमत) **स्विट्ज़रलैंड** की विशेषता हैं; भारत राष्ट्रीय स्तर पर इनमें से किसी का उपयोग नहीं करता। **ग्राम सभा** इसके सबसे निकट है।

★★★ **गणराज्य (Republic)**: राष्ट्राध्यक्ष **निर्वाचित** होता है, वंशानुगत नहीं। भारत का राष्ट्रपति **पाँच वर्ष** के लिए **अप्रत्यक्ष रूप से** चुना जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि **कोई विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग नहीं**: हर सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए खुला है।

★★ **ब्रिटेन** लोकतंत्र है पर **गणराज्य नहीं** (राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत सम्राट है); अमेरिका दोनों है, जहाँ राष्ट्रपति सीधे चुना जाता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को **कम नहीं** करती, और 'समाजवादी' का अर्थ सारी संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व **नहीं** है।

याद रखें: राजा है या नहीं? ब्रिटेन: राजा वाला लोकतंत्र, इसलिए गणराज्य नहीं। भारत: निर्वाचित राष्ट्रपति वाला लोकतंत्र, इसलिए दोनों।

झटपट जाँच

1. किस वाद ने पंथनिरपेक्षता को मूल ढाँचे का भाग माना?
2. प्रस्तावना का समाजवाद किस प्रकार का है?
3. भारत को गणराज्य क्या बनाता है?

उत्तर: 1. एस.आर. बोम्मई (1994) · 2. लोकतांत्रिक समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था · 3. निर्वाचित (वंशानुगत नहीं) राष्ट्राध्यक्ष

न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता

न्याय: 3 प्रकार

स्वतंत्रता: 5 बातें

प्रतिष्ठा, अवसर

आर्थिक न्याय

फ्रांसीसी क्रांति

चार आदर्श संविधान के लक्ष्य हैं। हर एक को आगे के भाग भरते हैं: **न्याय** को मुख्यतः निदेशक तत्व, **स्वतंत्रता** और **समता** को मुख्यतः मौलिक अधिकार, और **बंधुता** को एकल नागरिकता, अस्पृश्यता का अंत और नागरिकों के कर्तव्य।



चार आदर्श, हर एक में क्या है, और विचार कहाँ से आया।

★★★ **न्याय (Justice)**: **सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक**। सामाजिक: जाति, रंग, नस्ल, धर्म या लिंग के आधार पर असमान व्यवहार नहीं; आर्थिक: आय और संपत्ति की खाई घटाना; राजनैतिक: समान राजनीतिक अधिकार और पदों तक समान पहुँच।

★★★ **आर्थिक न्याय प्रस्तावना** और **निदेशक तत्वों** दोनों का लक्ष्य है (अनुच्छेद 38 राज्य से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था बनाने को कहता है; अनुच्छेद 39 आर्थिक लक्ष्य बताता है)।

★ सामाजिक और आर्थिक न्याय को मिलाकर **वितरणात्मक न्याय** कहा जाता है।

★★★ **विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना** की **स्वतंत्रता (Liberty)**: मुख्यतः **अनुच्छेद 19, 21 और 25 से 28** से सुनिश्चित।

★★ स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है: यह संविधान द्वारा अनुमत **युक्तियुक्त निर्बंधनों** के भीतर चलती है।

★★★ **प्रतिष्ठा** और **अवसर** की **समता (Equality)**: किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार नहीं, और सबके लिए समान अवसर।

★★ समता के तीन पहलू: **नागरिक** (अनुच्छेद 14 से 18), **राजनीतिक** (अनुच्छेद 325, 326) और **आर्थिक** (अनुच्छेद 39(a) आजीविका, 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन)।

★★ **बंधुता**: सभी भारतीयों में **भाईचारे** की भावना, जो **एकल नागरिकता**, अस्पृश्यता के अंत (**अनुच्छेद 17**) और सद्भाव बढ़ाने के कर्तव्य (**अनुच्छेद 51A(e)**) से बनती है। 'और अखंडता' 1976 में जोड़ा गया।

★★ **आंबेडकर** ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता को '**त्रिमूर्ति का संघ**' कहा: एक को हटा दें तो लोकतंत्र विफल हो जाता है।

★★★ **स्रोत**: स्वतंत्रता, समता, बंधुता **फ्रांसीसी क्रांति (1789)** से; न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक) **रूसी क्रांति (1917)** से।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** '**आर्थिक स्वतंत्रता**' प्रस्तावना में **नहीं** है: 'आर्थिक' केवल **न्याय** के साथ आता है। स्वतंत्रता की ठीक पाँच बातें हैं; **व्यवसाय** और **संगम** उनमें नहीं हैं।

याद रखें: '**आर्थिक**' केवल **न्याय** के साथ चलता है। स्वतंत्रता की पाँच: **T-E-B-F-W**, 'Think, Express, Believe, have Faith, Worship' (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना)।

झटपट जाँच

1. प्रस्तावना न्याय के कौन-से तीन प्रकार बताती है?
2. आर्थिक न्याय किन दो स्थानों में है?
3. पाँच स्वतंत्रताएँ बताइए।

उत्तर: 1. सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक · 2. प्रस्तावना और निदेशक तत्व · 3. विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना

क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है?

बेरुबारी 1960

केशवानंद 1973

एलआईसी 1995

न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं

व्याख्या में सहायक

उच्चतम न्यायालय ने पहले 'नहीं' कहा, फिर 'हाँ'। आज स्थिति तय है: प्रस्तावना **संविधान का भाग है**, पर इसे अकेले **न्यायालय में लागू नहीं** किया जा सकता। इसका काम शेष संविधान को पढ़ने में मार्गदर्शन है।

★★★ **बेरुबारी संघ मामला (In re Berubari Union, 1960)**: प्रस्तावना संविधान का भाग **नहीं** है, यद्यपि यह निर्माताओं के मन की कुंजी है। यह बेरुबारी को पूर्वी पाकिस्तान को देने पर एक **राष्ट्रपतीय संदर्भ (अनुच्छेद 143)** था; न्यायालय ने कहा कि भूमि सौंपने के लिए संशोधन चाहिए, जिससे **9वाँ संशोधन (1960)** आया।

★★★ **केशवानंद भारती (1973)**: प्रस्तावना संविधान का भाग **है**; बेरुबारी का मत अस्वीकार हुआ। न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि सभा ने इस पर किसी अन्य उपबंध की तरह बहस कर इसे पारित किया था।

★★ **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मामला (1995)**: उच्चतम न्यायालय ने फिर इसे संविधान का **अभिन्न भाग** कहा।

★★★ **न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं (Not justiciable)**: कोई न्यायालय प्रस्तावना को अकेले लागू नहीं कर सकता। यह विधानमंडल के लिए न **शक्ति का स्रोत** है, न उस पर **सीमा**; शक्तियाँ विशिष्ट अनुच्छेदों से आती हैं।

★★ **उपयोग**: जब कोई उपबंध **अस्पष्ट** हो, तब न्यायालय इसका सहारा लेते हैं; यह पाठ के स्पष्ट शब्दों को काट नहीं सकती।

★★ केशवानंद के न्यायाधीशों ने इससे कई **मूल विशेषताएँ** निकालीं: गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक शासन, पंथनिरपेक्ष स्वरूप, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता।

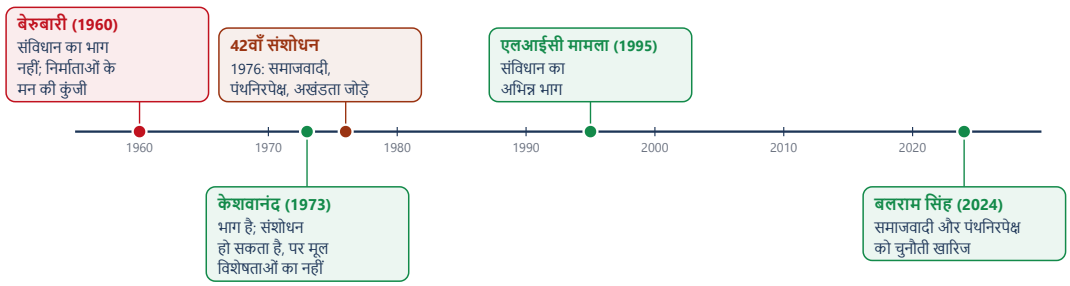

वर्ष अनुपात में। लाल: भाग नहीं; हरा: संविधान का भाग, या बरकरार।

प्रस्तावना पर निर्णय, बीच में 42वें संशोधन के साथ।

परीक्षा में सावधान: सटीक उत्तर: प्रस्तावना 'संविधान का भाग है पर अन्य भागों से **स्वतंत्र रूप से इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं** है'। 'भाग नहीं' बेरुबारी का मत था (पलटा जा चुका); 'किसी अन्य भाग जैसा ही विधिक प्रभाव' भी गलत है।

याद रखें: **B**erubari ने इसे **B**ahar (बाहर) रखा; **K**esavananda ने **K**amre (कमरे) के अंदर।

☑ झटपट जाँच

1. किस वाद ने पहले कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? किसने इसे पलटा?
2. क्या कोई न्यायालय प्रस्तावना को अकेले लागू कर सकता है?
3. न्यायालय प्रस्तावना का उपयोग कब करते हैं?

उत्तर: 1. बेरुबारी (1960); केशवानंद भारती (1973) · 2. नहीं, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है · 3. किसी अस्पष्ट उपबंध की व्याख्या के लिए

प्रस्तावना में संशोधन: 42वाँ संशोधन

अनुच्छेद 368

एक बार संशोधित

1976

एकता और अखंडता

बलराम सिंह 2024

संविधान का भाग होने के कारण प्रस्तावना में **अनुच्छेद 368** के अंतर्गत संशोधन हो सकता है, पर इसकी **मूल विशेषताएँ** नष्ट नहीं की जा सकतीं (केशवानंद)। इसमें **केवल एक बार**, 1976 में, आपातकाल के दौरान संशोधन हुआ।



अब तक का एकमात्र बदलाव: 1950 का पाठ और आज का पाठ, जोड़े गए शब्द रंग में।

★★★ **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976**: 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' बदलकर 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न **समाजवादी पंथनिरपेक्ष** लोकतंत्रात्मक गणराज्य' हुआ, और 'राष्ट्र की एकता' बदलकर 'राष्ट्र की एकता **और अखंडता**'।

★★★ इसलिए **26 जनवरी 1950** को भारत एक '**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य**' था।

★★ **स्वर्ण सिंह समिति** की सलाह पर बने 42वें संशोधन ने इतना कुछ बदला कि इसे '**लघु संविधान (Mini-Constitution)**' कहा जाता है।

★★ आपातकाल के बाद के **44वें संशोधन (1978)** ने 42वें का बहुत कुछ पलटा, पर तीनों शब्द **बनाए रखे**।

★ 1978 के एक विधेयक ने 'पंथनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' को **परिभाषित** करने का प्रयास किया; **राज्य सभा** ने वे परिभाषाएँ पारित नहीं कीं, इसलिए ये शब्द अपरिभाषित हैं।

★★★ **बलराम सिंह बनाम भारत संघ (25 नवंबर 2024)**: उच्चतम न्यायालय ने 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' के विरुद्ध याचिकाएँ **खारिज** कीं। प्रस्तावना में लिखी अंगीकरण की तिथि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन में बाधा नहीं है; 'समाजवादी' निर्वाचित सरकारों को किसी एक आर्थिक नीति से नहीं बाँधता; 'पंथनिरपेक्ष' का अर्थ है कि राज्य न किसी धर्म का पक्ष लेता है, न उससे भेदभाव करता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** दो नहीं, तीन शब्द: 42वें ने **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष** और **अखंडता** जोड़े। 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न', 'लोकतंत्रात्मक', 'गणराज्य' और 'एकता' **मूल** हैं।

याद रखें: '76 में S-S-I: Socialist (समाजवादी), Secular (पंथनिरपेक्ष), Integrity (अखंडता), प्रस्तावना को मिले केवल यही तीन शब्द।

☑ झटपट जाँच

1. प्रस्तावना के अनुसार 26 जनवरी 1950 को भारत की सटीक स्थिति?
2. 42वें संशोधन ने कौन-से तीन शब्द जोड़े?
3. 2024 के किस वाद ने उन शब्दों को बनाए रखा?

उत्तर: 1. संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य · 2. समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता · 3. बलराम सिंह बनाम भारत संघ

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (7)

UPSC 2013 भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' का किसमें उपबन्ध किया गया है?
(a) उद्देशिका और मूल अधिकार (b) उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (c) मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(d) उपर्युक्त में से किसी में नहीं
उत्तर: (b) उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना और नीति-निदेशक तत्वों में है

UPSC 2017 निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन-सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है ?
(a) विचार की स्वतंत्रता (b) आर्थिक स्वतंत्रता (c) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (d) विश्वास की स्वतंत्रता
उत्तर: (b) आर्थिक स्वतंत्रता. उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है; उद्देशिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है

UPSC 2017 भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है ?
(a) उद्देशिका (b) मूल अधिकार (c) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (d) मूल कर्तव्य
उत्तर: (a) उद्देशिका. उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी माना जाता है

UPSC 2020 भारत के संविधान की उद्देशिका
(a) संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती (b) संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती
(c) संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग
(d) संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है
उत्तर: (d) संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है. उद्देशिका संविधान का भाग है, पर स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है; बेरुबारी (1960) में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया; केशवानंद (1973) में भाग माना गया

UPSC 2021 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी?
(a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य (b) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य (c) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(d) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
उत्तर: (b) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य. मूल प्रस्तावना में भारत को 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' कहा गया था; 42वें संशोधन, 1976 ने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़े

BPSC 60th-62nd भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया ?
(a) 42वाँ संशोधन (b) 44वाँ संशोधन (c) 46वाँ संशोधन (d) 74वाँ संशोधन (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) 42वाँ संशोधन. 42वें संशोधन (1976) ने उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े

BPSC 70th 42वें संशोधन द्वारा कौन-से दो शब्द प्रस्तावना में जोडे गए ?
(a) गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष (b) प्रजातान्त्रिक एवं समाजवादी (c) धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी (d) समाजवादी एवं प्रभुसत्तासम्पन
उत्तर: (c) धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी. 42वें संशोधन, 1976 ने प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़े

स्वयं को परखें (11)

1. 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन-से शब्द जोड़े गए?
(a) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता (b) समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, एकता (c) पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, अखंडता
(d) संप्रभु, समाजवादी, बंधुता

2. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है?
(a) बेरुबारी संघ (b) गोलकनाथ (c) केशवानंद भारती (d) मिनर्वा मिल्स

3. निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में बताई गई स्वतंत्रताओं में नहीं है?
(a) विचार (b) विश्वास (c) व्यवसाय (d) उपासना

4. प्रस्तावना में उल्लिखित तिथि है
(a) 26 जनवरी 1950 (b) 26 नवंबर 1949 (c) 15 अगस्त 1947 (d) 22 जनवरी 1947

5. प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किससे प्रेरित हैं?
(a) अमेरिकी क्रांति (b) फ्रांसीसी क्रांति (c) रूसी क्रांति (d) आयरिश संविधान

6. प्रस्तावना को संविधान का 'पहचान-पत्र' किसने कहा?
(a) के.एम. मुंशी (b) अर्नेस्ट बार्कर (c) एन.ए. पालकीवाला (d) ठाकुरदास भार्गव

7. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान की मूल विशेषता माना?
(a) एस.आर. बोम्मई (b) मेनका गांधी (c) इंद्रा साहनी (d) गोलकनाथ

8. विचार कीजिए: 1. प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन हो सकता है। 2. प्रस्तावना न्यायालयों में प्रवर्तनीय है। कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बंधुता' नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का भाग थी।
2. संविधान सभा ने शेष पाठ तय होने के बाद प्रस्तावना को सबसे अंत में लिया।
3. 44वें संशोधन ने प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' हटा दिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रस्तावना अपने आदर्शों में 'आर्थिक स्वतंत्रता' का नाम लेती है।
2. प्रस्तावना बंधुता प्राप्त कराती है और न्याय बढ़ाती है।
3. 'संघीय' और 'कल्याणकारी' शब्द प्रस्तावना में हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीन (d) कोई नहीं

11. एक नागरिक किसी नए कानून को केवल इस आधार पर चुनौती देता है कि वह प्रस्तावना के आर्थिक न्याय के आदर्श के विरुद्ध है; कानून संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता। न्यायालय को क्या करना चाहिए?
(a) उसे रद्द करे, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है और किसी भी अनुच्छेद की तरह संसद को बाँधती है
(b) प्रस्तावना को अनदेखा करे, क्योंकि वह संविधान से बाहर है (c) प्रश्न को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजे
(d) केवल इस आधार पर उसे रद्द न करे

उत्तर: 1. (a) संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और एकता मूल हैं; 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। · 2. (c) केशवानंद (1973) ने बेरुबारी (1960) का मत पलटा। · 3. (c) पाँच हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। · 4. (b) प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण दर्ज करती है। · 5. (b) फ्रांसीसी क्रांति (1789); न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक) रूसी क्रांति से आया। · 6. (c) मुंशी ने इसे 'राजनीतिक जन्मपत्री' कहा; बार्कर ने 'मूल स्वर'। · 7. (a) एस.आर. बोम्मई (1994)। · 8. (a) संशोधनीय (केशवानंद; 1976 में एक बार हुआ) पर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। · 9. (b) प्रस्तावना सबसे अंत में (17 अक्टूबर 1949) ली गई; प्रारूप समिति ने 1948 में बंधुता जोड़ी, और 44वें संशोधन ने 1976 में जोड़े गए शब्द बनाए रखे। · 10. (d) 'आर्थिक' केवल न्याय के साथ आता है; न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराए जाते हैं जबकि बंधुता बढ़ाई जाती है (कथन 2 इसे उलट देता है); 'संघीय' और 'कल्याणकारी' पाठ में नहीं हैं। · 11. (d) प्रस्तावना संविधान का भाग है (केशवानंद) पर अपने आप में प्रवर्तनीय नहीं; न्यायालय इसका उपयोग केवल अस्पष्ट उपबंध पढ़ने में करते हैं, और इसे बाहर मानने वाला बेरुबारी मत पलटा जा चुका है।

अध्याय 5

मौलिक अधिकार और रिट

अनुच्छेद संख्याएँ (14, 17, 19, 21, 32), कौन-से अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं, अनुच्छेद 21 में पढ़े गए अधिकार (निजता, जीवनसाथी का चुनाव), अनुच्छेद 13 में 'विधि', अनुच्छेद 300A के अधीन संपत्ति और पाँच रिट हर वर्ष पूछे जाते हैं।

पिछले प्रश्नपत्रों में 21 बार पूछा गया: UPSC 15 · BPSC 6

≈ 1 h 11 min पढ़ने में ≈ 17 min ★★★ दोहराने में

दोहराएँ: दिन 1 | दिन 3 | दिन 7 | दिन 21



रिवीज़न कार्ड

1. भाग III, अनुच्छेद 12 से 35: छह मौलिक अधिकार (संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन, 1978 से हटाया गया; अब यह अनुच्छेद 300A के अधीन हर व्यक्ति का विधिक अधिकार है)।
2. अनुच्छेद 13(3): 'विधि' में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और रूढ़ि या प्रथा शामिल हैं; अनुच्छेद 13(4): संविधान संशोधन 'विधि' नहीं है।
3. अनुच्छेद 14: हर व्यक्ति के लिए विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण; अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति और मनमानापन इसका उल्लंघन हैं।
4. अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव रोकता है; अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के लिए उद्भव और निवास जोड़ता है। इंदिरा साहनी (1992): क्रीमी लेयर बाहर, 50% की सीमा।
5. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है (समता का अधिकार); अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है; भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं (बालाजी राघवन 1996)।
6. अनुच्छेद 19: केवल नागरिकों के लिए छह स्वतंत्रताएँ; राष्ट्रीय ध्वज फहराना 19(1)(a) का भाग है (नवीन जिंदल 2004)।
7. अनुच्छेद 20: कार्योत्तर आपराधिक विधि नहीं, दोहरा दंड नहीं, आत्म-अभिशंसन नहीं। अनुच्छेद 22: 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने; सलाहकार बोर्ड के बिना निवारक निरोध अधिकतम 3 महीने।
8. अनुच्छेद 21: मेनका गांधी (1978) ने प्रक्रिया को 'उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त' बनाया; निजता (पुट्टास्वामी 2017) और अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग हैं।
9. अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (86वाँ संशोधन, 2002; शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) 2009)।
10. शोषण के विरुद्ध अधिकार = अनुच्छेद 23 (दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम) + अनुच्छेद 24 (14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा कारखानों, खानों, खतरनाक कामों में नहीं)।
11. केवल नागरिक: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। हर व्यक्ति (विदेशी भी): अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23 से 28।
12. अनुच्छेद 32 'हृदय और आत्मा' है (आंबेडकर); अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
13. रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण (कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है), परमादेश (लोक कर्तव्य; निजी निकाय या कंपनी के विरुद्ध नहीं), प्रतिषेध (लंबित मामला रोकता है), उत्प्रेषण (निर्णीत मामला रद्द करता है), अधिकार-पृच्छा (कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है)।
14. आपातकाल: युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है; अनुच्छेद 359 अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित करता है, पर अनुच्छेद 20 और 21 का कभी नहीं।

भाग III एक नज़र में

भाग III
अनुच्छेद 12 से 35
छह अधिकार
44वाँ संशोधन
न्यायालय में प्रवर्तनीय
मैग्नाकार्टा

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) **राज्य की शक्ति पर सीमाएँ** हैं, जिन्हें संविधान में लिखा गया ताकि कोई साधारण बहुमत इन्हें छीन न सके। ये 'मौलिक' इसलिए हैं कि सर्वोच्च विधि इनकी गारंटी देती है और व्यक्ति इन्हें लागू कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है।

★★★ **भाग III, अनुच्छेद 12 से 35**, जिसे प्रायः **भारत का मैग्नाकार्टा (Magna Carta)** कहा जाता है; यह विचार **अमेरिकी अधिकार-पत्र (US Bill of Rights)** से लिया गया है।

★★ **जड़ें**: नेहरू रिपोर्ट (1928) और सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ **कांग्रेस का कराची अधिवेशन (1931)**, जिसने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया। संविधान सभा में अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष **सरदार पटेल** थे, और उसकी मौलिक अधिकार उप-समिति के अध्यक्ष **जे.बी. कृपलानी (J.B. Kripalani)**।

★★★ **मूल रूप से सात** अधिकार थे; **44वें संशोधन (1978)** ने **संपत्ति का अधिकार** हटाया, अब **छह** बचे हैं।

★★ **न्यायालय में प्रवर्तनीय (Justiciable)**: **उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32)** और **उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)** इन्हें लागू करा सकते हैं, जबकि निदेशक तत्वों को नहीं।

★★ **असीमित नहीं**: राज्य **युक्तियुक्त निर्बंधन (Reasonable restrictions)** लगा सकता है, और निर्बंधन युक्तियुक्त है या नहीं, यह न्यायालय तय करते हैं।

★★ **किसे मिलते हैं**: कुछ केवल **नागरिकों** को (अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30), बाकी **हर व्यक्ति** को, विदेशियों सहित। अधिकतर राज्य पर सीमाएँ हैं; कुछ निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं (अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24)।

★★ **संशोधन योग्य**: संसद अनुच्छेद 368 के अधीन इनमें संशोधन कर सकती है, पर इस तरह नहीं कि **मूल ढाँचा (Basic structure)** नष्ट हो (केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati), 1973)।

★★ **आपातकाल**: राष्ट्रीय आपातकाल में इन्हें निलंबित किया जा सकता है, **अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर** (44वाँ संशोधन)।

छह मौलिक अधिकार ★★★

अधिकार	अनुच्छेद	मूल विचार
समता का अधिकार	14 से 18	विधि के समक्ष समता, भेदभाव नहीं, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अस्पृश्यता नहीं, उपाधियाँ नहीं
स्वतंत्रता का अधिकार	19 से 22	छह स्वतंत्रताएँ; दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण; प्राण और दैहिक स्वतंत्रता; शिक्षा; गिरफ़्तारी पर सुरक्षा
शोषण के विरुद्ध अधिकार	23 और 24	दुर्व्यापार या बलात् श्रम नहीं; 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा खतरनाक काम में नहीं
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	25 से 28	अंतःकरण और उपासना; धार्मिक संप्रदाय; धार्मिक कर नहीं; धार्मिक शिक्षा
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	29 और 30	भाषा और संस्कृति का संरक्षण; अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाएँ
संवैधानिक उपचारों का अधिकार	32	रिट के माध्यम से प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाना

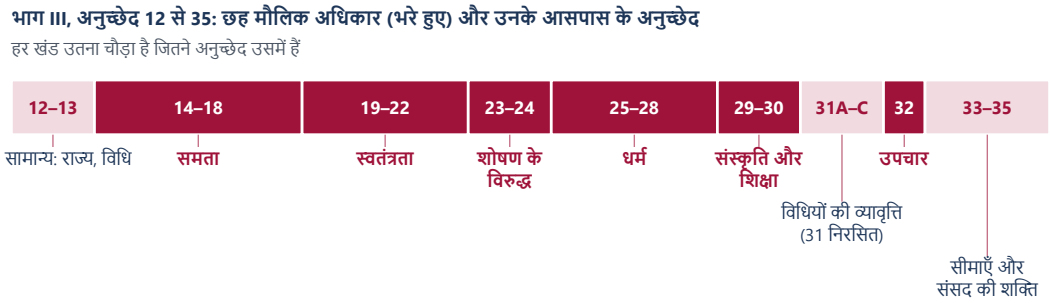

भाग III अनुच्छेद-दर-अनुच्छेद: हर खंड उतना चौड़ा है जितने अनुच्छेद उसमें हैं। छह अधिकार (भरे हुए खंड) सामान्य अनुच्छेदों (12 और 13) और सीमाओं (33 से 35) के बीच हैं; अनुच्छेद 31 स्वयं 1978 में निरसित हो गया।

याद रखें: हर अधिकार कहाँ समाप्त होता है: 18, 22, 24, 28, 30, 32। समता 18 पर, स्वतंत्रता 22 पर, शोषण 24 पर, धर्म 28 पर, संस्कृति 30 पर समाप्त होती है, और उपचार 32 है।

झटपट जाँच

1. मौलिक अधिकार किस भाग और किन अनुच्छेदों में हैं?
2. कौन-सा अधिकार हटाया गया, और किस संशोधन से?
3. कौन-से दो न्यायालय मौलिक अधिकार लागू करा सकते हैं, किन अनुच्छेदों के अधीन?

उत्तर: 1. भाग III, अनुच्छेद 12 से 35 · 2. संपत्ति का अधिकार, 44वाँ संशोधन (1978) · 3. उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32), उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)

अनुच्छेद 12 और 13: राज्य कौन है, विधि क्या है

अनुच्छेद 12 'राज्य'
अन्य प्राधिकारी
अनुच्छेद 13(3) 'विधि'
रूढ़ि या प्रथा
13(4)
आच्छादन, पृथक्करणीयता

अधिकार किसी के विरुद्ध दावा होता है। भाग III मुख्यतः **राज्य** के विरुद्ध दावा है, इसलिए अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा व्यापक रखता है। फिर अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार तोड़ने वाली हर विधि को **शून्य** बनाता है; यही **न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review)** का स्पष्ट आधार है।

★★ **अनुच्छेद 12, 'राज्य'**: **भारत की सरकार और संसद**, **हर राज्य की सरकार और विधानमंडल**, सभी **स्थानीय प्राधिकारी** (नगरपालिकाएँ, पंचायतें) और भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में **अन्य प्राधिकारी**।

★★ **'अन्य प्राधिकारी'**: ऐसे निकाय जो सरकार के उपकरण या अभिकरण हों, जिन्हें वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण से परखा जाता है (अजय हसिया (Ajay Hasia), 1981): जैसे LIC, ONGC और सरकारी कंपनियाँ। BCCI 'राज्य' नहीं है (ज़ी टेलीफ़िल्म्स (Zee Telefilms), 2005), हालाँकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन उस तक पहुँच सकते हैं।

★★ **अनुच्छेद 13(1)**: 26 जनवरी 1950 से पहले लागू विधियाँ मौलिक अधिकारों से टकराने की **सीमा तक** शून्य हैं। **अनुच्छेद 13(2)**: राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इन्हें छीने या कम करे; ऐसी विधि उस सीमा तक शून्य है।

★★★ **अनुच्छेद 13(3), 'विधि'** में **अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना** और भारत में विधि का बल रखने वाली **रूढ़ि या प्रथा** शामिल हैं।

★★★ **अनुच्छेद 13(4)** (24वाँ संशोधन, 1971): अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के लिए **'विधि' नहीं** है। फिर भी मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाने वाले संशोधन रद्द किए जा सकते हैं (केशवानंद भारती, 1973)।

★★ **पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of severability)**: विधि का केवल वह भाग रद्द होता है जो अधिकार का उल्लंघन करता है, यदि उसे बाकी से अलग किया जा सके।

★★ **आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of eclipse)**: अधिकार का उल्लंघन करने वाली 1950 से पहले की विधि मरती नहीं, केवल ढक जाती है; यदि बाद में अधिकार में संशोधन हो जाए, तो विधि फिर जीवित हो जाती है (भीकाजी नारायण (Bhikaji Narain), 1955)।

★ **अधित्यजन नहीं (No waiver)**: व्यक्ति स्वेच्छा से भी अपना मौलिक अधिकार नहीं छोड़ सकता (बशेशर नाथ (Basheshar Nath), 1959)।

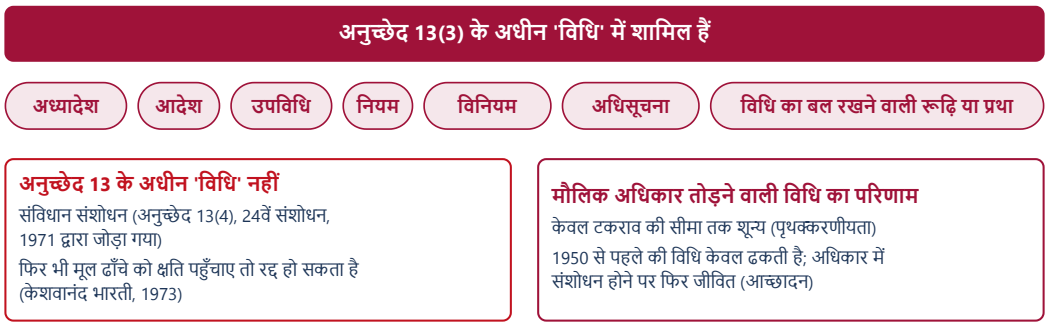

अनुच्छेद 13(3) के अधीन क्या 'विधि' है, क्या नहीं, और मौलिक अधिकार तोड़ने वाली विधि का क्या होता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** विधि का बल रखने वाली **रूढ़ि या प्रथा** अनुच्छेद 13(3) के अधीन 'विधि' है, इसलिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाली रूढ़ि शून्य है। यह कथन कि 'विधि' में अध्यादेश, आदेश, नियम और विनियम आते हैं **पर रूढ़ि नहीं**, **पूरी तरह गलत** है: रूढ़ि उसी खंड में लिखी है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन 'विधि' **नहीं** है।

झटपट जाँच

1. क्या अनुच्छेद 13 की 'विधि' में रूढ़ि या प्रथा शामिल है?
2. कौन-सा खंड कहता है कि संविधान संशोधन 'विधि' नहीं है, और इसे किस संशोधन ने जोड़ा?
3. 1950 से पहले की कोई विधि किसी अधिकार से टकराती है और अधिकार में संशोधन होने पर फिर जीवित हो जाती है। सिद्धांत का नाम बताइए।

उत्तर: 1. हाँ, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा (13(3)) · 2. अनुच्छेद 13(4), 24वाँ संशोधन (1971) · 3. आच्छादन का सिद्धांत

समता का अधिकार: अनुच्छेद 14, 15 और 16

अनुच्छेद 14

युक्तियुक्त वर्गीकरण

अनुच्छेद 15 के आधार

अनुच्छेद 16(4), (4A)

इंदिरा साहनी 1992

EWS 10%

समता का अर्थ सबसे एक जैसा व्यवहार नहीं है; इसका अर्थ है **समान लोगों से समान व्यवहार**, और राज्य किसी ठोस कारण से असमान लोगों से अलग व्यवहार कर सकता है। इसी कारण महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष विधियाँ और आरक्षण समता के अनुच्छेदों के भीतर हैं, उनके विरुद्ध नहीं।

★★★ **अनुच्छेद 14**: राज्य भारत में **किसी व्यक्ति** को **विधि के समक्ष समता (Equality before law)** (ब्रिटिश विचार, नकारात्मक: कोई विधि से ऊपर नहीं) या **विधियों के समान संरक्षण (Equal protection of laws)** (अमेरिकी विचार, सकारात्मक: समान परिस्थितियों में समान व्यवहार) से वंचित नहीं करेगा।

★★ **युक्तियुक्त वर्गीकरण (Reasonable classification)** की अनुमति है, वर्ग विधान की नहीं। वर्गीकरण **बोधगम्य अंतर (Intelligible differentia)** पर आधारित हो और विधि के उद्देश्य से उसका **तर्कसंगत संबंध (Rational nexus)** हो (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (Anwar Ali Sarkar), 1952)।

★★★ **मनमानापन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है** (ई.पी. रोयप्पा (E.P. Royappa), 1974): कार्यपालिका को **अनियंत्रित और निरंकुश विवेकाधीन शक्ति** देने वाली विधि अनुच्छेद 14 के अधीन रद्द होती है।

★ **अपवाद**: राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में आपराधिक कार्यवाही से मुक्त हैं (अनुच्छेद 361); विधायकों को सदन में कही बात के लिए संरक्षण है (अनुच्छेद 105, 194); विदेशी संप्रभु और राजनयिक उन्मुक्ति रखते हैं।

★★★ **अनुच्छेद 15(1)**: राज्य किसी **नागरिक** से **केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान** के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

★★ **अनुच्छेद 15(2)**: इन आधारों पर किसी नागरिक को **दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों** और सार्वजनिक समागम स्थलों से रोका नहीं जा सकता; यह **निजी व्यक्तियों** पर भी लागू है।

★★ **अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों** के लिए विशेष उपबंध की अनुमति देता है; **15(4)** सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए (**पहला (1st) संशोधन, 1951**, चंपकम दोरैराजन (Champakam Dorairajan) मामले के बाद); **15(5)** शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, निजी संस्थाओं सहित पर अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर (**93वाँ संशोधन, 2005**); **15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10%** तक (**103वाँ संशोधन, 2019**, जनहित अभियान (Janhit Abhiyan) में नवंबर 2022 में वैध ठहराया गया)।

★★★ **अनुच्छेद 16(1), (2)**: **नागरिकों** के लिए **लोक नियोजन** में अवसर की समता; धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, **उद्भव**, जन्मस्थान या **निवास** के आधार पर भेदभाव नहीं।

★★ **अनुच्छेद 16(3)**: केवल **संसद** किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कुछ नौकरियों के लिए **निवास** की शर्त विहित कर सकती है।

★★★ **अनुच्छेद 16(4)**: पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण। **16(4A)**: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए **पदोन्नति** में आरक्षण (**77वाँ संशोधन, 1995**), परिणामी वरिष्ठता के साथ (85वाँ, 2001)। **16(4B)**: न भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ 50% की सीमा से बाहर आगे ले जाई जाती हैं (81वाँ, 2000)। **16(5)**: धार्मिक निकायों के पद उसी धर्म के सदस्यों को दिए जा सकते हैं। **16(6)**: EWS, 10% तक (103वाँ)।

★★★ **इंदिरा साहनी (Indra Sawhney) (1992, मंडल मामला)**: **OBC के लिए 27% आरक्षण** वैध ठहराया, **क्रीमी लेयर** को बाहर किया, कुल आरक्षण पर सामान्य नियम के रूप में **50% की सीमा** तय की, और पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाई (जिसे बाद में 77वें संशोधन ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बहाल किया)।

★★ **बाद के मामले**: एम. नागराज (M. Nagaraj) (2006) ने शर्तों के साथ अनुच्छेद 16(4A) को वैध ठहराया; **पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (Davinder Singh) (1 अगस्त 2024)** ने राज्यों को आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों का **उप-वर्गीकरण** करने की अनुमति दी।

★★ **अनुच्छेद 335** (भाग XVI): सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर **प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति में** विचार किया जाएगा। न्यायालय अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) को इससे सीमित मानते हैं। संविधान 'प्रशासन की दक्षता' को **परिभाषित नहीं** करता; 82वें संशोधन (2000) ने पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अर्हक अंकों में छूट की अनुमति दी।

वे आधार जिन पर भेदभाव वर्जित है

	अनु. 15(1): राज्य कार्य	अनु. 16(2): सरकारी नौकरी	अनु. 29(2): राज्य-सहायित शिक्षा
धर्म	●	●	●
मूलवंश	●	●	●
जाति	●	●	●
लिंग	●	●	—
जन्मस्थान	●	●	—
उद्भव	—	●	—
निवास	—	●	—
भाषा	—	—	●

भरा बिंदु: आधार उस खंड में है। डैश: नहीं है।

वे आधार जिन पर भेदभाव वर्जित है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 के पाँच आधारों में 'उद्भव' और 'निवास' जोड़ता है; राज्य-सहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश से जुड़ा अनुच्छेद 29(2) 'भाषा' जोड़ता है।

याद रखें: अनुच्छेद 15 = 'RRCSP': Religion (धर्म), Race (मूलवंश), Caste (जाति), Sex (लिंग), Place of birth (जन्मस्थान)। **अनुच्छेद 16 = RRCSP + D + R**: Descent (उद्भव) और Residence (निवास)। सोलह, पंद्रह से दो आधार बड़ा है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुच्छेद 14 **हर व्यक्ति** (विदेशी नागरिक या कंपनी भी) की रक्षा करता है; अनुच्छेद 15 और 16 केवल **नागरिकों** की। 'भाषा' अनुच्छेद 15 या 16 में आधार नहीं है।

झटपट जाँच

1. कोई विधि किसी अधिकारी को अनियंत्रित, निरंकुश विवेक देती है। यह किस अनुच्छेद का उल्लंघन है?
2. अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 के आधारों में कौन-से दो आधार जोड़ता है?
3. उस 1992 के मामले का नाम बताइए जिसने 50% की सीमा तय की और क्रीमी लेयर को बाहर किया।

उत्तर: 1. अनुच्छेद 14 · 2. उद्भव और निवास · 3. इंदिरा साहनी (मंडल मामला)

अनुच्छेद 17 और 18: अस्पृश्यता और उपाधियाँ

अनुच्छेद 17

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम

अनुच्छेद 18

सेना, विद्या संबंधी

बालाजी राघवन 1996

संविधान ने स्वयं दो सामाजिक बुराइयों का अंत किया: अस्पृश्यता, जो समान गरिमा से वंचित करती थी, और राय बहादुर जैसी वंशानुगत उपाधियाँ, जो नागरिकों में कृत्रिम दर्जे बनाती थीं। दोनों **समता के अधिकार** में हैं।

★★★ **अनुच्छेद 17**: **अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत** किया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है; इससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय **अपराध** है। यह **समता के अधिकार** में आता है।

पद्म पुरस्कार

★★ **परिभाषित नहीं**: 'अस्पृश्यता' शब्द न संविधान में परिभाषित है न अधिनियम में। **अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम (Untouchability (Offences) Act) 1955** का नाम 1976 में बदलकर **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Civil Rights Act)** किया गया; **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC and ST (Prevention of Atrocities) Act) 1989** और संरक्षण देता है।

★★ **निरपेक्ष अधिकार**: अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है और यह **निजी व्यक्तियों** पर भी लागू होता है।

★★★ **अनुच्छेद 18(1)**: राज्य **सेना या विद्या संबंधी सम्मान** के सिवाय **कोई उपाधि** नहीं देगा। **18(2)**: कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

★ **अनुच्छेद 18(3), (4)**: राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले विदेशी को विदेशी उपाधि स्वीकार करने के लिए **राष्ट्रपति की सहमति** चाहिए, और ऐसे पद का कोई धारक उस सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं कर सकता।

★★★ **राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं** (बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (Balaji Raghavan v Union of India), 1996): भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री वैध हैं, पर इन्हें नाम के **आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता**।

★★ **पुरस्कार तथ्य**: **1954** में शुरू; **दो बार** स्थगित, 1977 से 1980 और 1992 से 1995। भारत रत्न सामान्यतः एक वर्ष में अधिकतम **तीन** व्यक्तियों को दिया जाता है; 2024 में पाँच की घोषणा हुई।

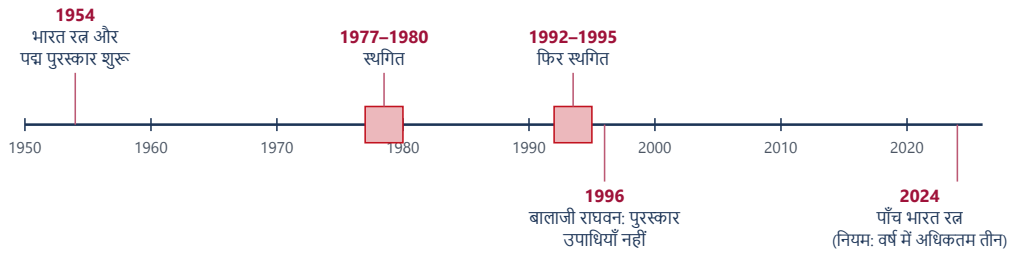

पैमाने पर बनी समयरेखा पर राष्ट्रीय पुरस्कार: 1954 में शुरू, 1977 से 1980 और फिर 1992 से 1995 तक स्थगित, 1996 में अनुच्छेद 18 के अधीन उपाधियाँ नहीं माने गए।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अस्पृश्यता **समता के अधिकार** (अनुच्छेद 17) में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं। 'पद्म पुरस्कार केवल एक बार स्थगित हुए' और 'एक वर्ष में पाँच तक भारत रत्न' दोनों कथन गलत हैं।

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है, और किस श्रेणी के अधिकारों में?
2. अनुच्छेद 18 के अधीन राज्य अब भी कौन-से सम्मान दे सकता है?
3. क्या पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 द्वारा वर्जित 'उपाधियाँ' हैं?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 17; समता का अधिकार · 2. सेना और विद्या संबंधी · 3. नहीं (बालाजी राघवन, 1996), पर नाम के आगे या पीछे नहीं लगाए जा सकते

अनुच्छेद 19: नागरिकों की छह स्वतंत्रताएँ

अनुच्छेद 19(1)(a) से (g)

केवल नागरिक

19(2) के आधार

नवीन जिंदल 2004

अनुच्छेद 19 नागरिकों को वे स्वतंत्रताएँ देता है जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं: बोलना, मिलना, संगठन बनाना, घूमना, बसना और जीविका कमाना। हर स्वतंत्रता के साथ एक खंड है जो उन **एकमात्र आधारों** की सूची देता है जिन पर राज्य उसे सीमित कर सकता है, और हर निर्बंधन **युक्तियुक्त** होना चाहिए।

श्रेया सिंघल 2015

युक्तियुक्त निर्बंधन

अनुच्छेद 19(1) की छह स्वतंत्रताएँ ★★★

खंड	स्वतंत्रता	निर्बंधन खंड
19(1)(a)	वाक् और अभिव्यक्ति	19(2)
19(1)(b)	शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन	19(3)
19(1)(c)	संगम, संघ या सहकारी समितियाँ बनाना	19(4)
19(1)(d)	भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण	19(5)
19(1)(e)	भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बस जाना	19(5)
19(1)(g)	कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करना	19(6)

★★★ **केवल नागरिक**: विदेशी अनुच्छेद 19 का दावा नहीं कर सकते। इसलिए भारत में रह रहे **ब्रिटिश नागरिक** को व्यापार या वृत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, हालाँकि उसे विधि के समक्ष समता और प्राण तथा स्वतंत्रता का अधिकार है।

★★ **परिवर्तन**: **19(1)(f)**, संपत्ति का अधिकार, **44वें संशोधन (1978)** ने हटाया; 19(1)(c) में '**सहकारी समितियाँ**' **97वें संशोधन (2011)** ने जोड़ा; '**भारत की संप्रभुता और अखंडता**' आधार **16वें संशोधन (1963)** ने जोड़ा; 'लोक व्यवस्था', 'मैत्रीपूर्ण संबंध' और 'उद्दीपन' **पहले (1st) संशोधन (1951)** ने।

★★ **वाक् स्वतंत्रता के लिए 19(2) के आधार**: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उद्दीपन।

★★★ **वाक् और अभिव्यक्ति में शामिल हैं**: **प्रेस** की स्वतंत्रता (रोमेश थापर (Romesh Thappar), 1950; प्रेस के लिए अलग खंड नहीं है), **सूचना का अधिकार** (राज नारायण (Raj Narain), 1975), अपने भवन पर अभिव्यक्ति के रूप में **राष्ट्रीय ध्वज फहराने** का अधिकार (**भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (Naveen Jindal), 2004**), **मौन रहने का अधिकार** (बिजो इमैनुएल (Bijoe Emmanuel), 1986), वाणिज्यिक विज्ञापन और **इंटरनेट** पर अभिव्यक्ति (अनुराधा भसीन (Anuradha Bhasin), 2020)।

★★★ **श्रेया सिंघल (Shreya Singhal) (2015)**: IT अधिनियम की **धारा 66A**, जो अस्पष्ट रूप से 'आपत्तिजनक' ऑनलाइन पोस्ट को दंडित करती थी, 19(1)(a) का उल्लंघन मानकर रद्द की गई।

★★ **चुनावी बॉन्ड** (ADR बनाम भारत संघ, **15 फ़रवरी 2024**): यह योजना रद्द की गई क्योंकि यह 19(1)(a) के अधीन मतदाताओं के **सूचना के अधिकार** का उल्लंघन करती थी।

★★ **राजद्रोह**: IPC की धारा 124A को उच्चतम न्यायालय ने मई 2022 में स्थगित रखा; **भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023** (**1 जुलाई 2024** से लागू) में राजद्रोह नाम का कोई अपराध नहीं है; इसकी धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है।

★★ **सीमाएँ**: **हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं** है (टी.के. रंगराजन (T.K. Rangarajan), 2003); विरोध प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर हों, सार्वजनिक सड़कों पर अनिश्चित काल तक कब्ज़ा करके नहीं (अमित साहनी (Amit Sahni), 2020)।

★★★ **युक्तियुक्तता**: निर्बंधन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और **आम जनता के हित** के बीच **संतुलन** बनाना चाहिए (मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो (V.G. Row), 1952)। न्यायालय उद्देश्य, हानि की सीमा और **प्रचलित सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं** को तौलते हैं; किसी निदेशक तत्व को लागू करने वाली विधि को सरलता से युक्तियुक्त माना जाता है, पर निदेशक तत्वों के सहारे मौलिक अधिकारों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

	(a) वाक्, अभिव्यक्ति	(b) सम्मेलन	(c) संगम	(d) संचरण	(e) निवास	(g) वृत्ति, व्यापार
भारत की संप्रभुता और अखंडता	●	●	●			
राज्य की सुरक्षा	●					
विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध	●					
लोक व्यवस्था	●	●	●			
शिष्टाचार या सदाचार	●		●			
अवमानना, मानहानि, उद्दीपन	●					
आम जनता के हित				●	●	●
अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण				●	●	
योग्यताएँ; राज्य का एकाधिकार						●

भरा बिंदु: उस आधार पर राज्य वह स्वतंत्रता सीमित कर सकता है (खंड 19(2) से 19(6))। खंड (f), संपत्ति, 1978 में हटा।

कौन-सा आधार किस स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। वाक् की सूची सबसे लंबी है (19(2)); संचरण और निवास को आम जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए सीमित किया जा सकता है; व्यापार के लिए योग्यता माँगी जा सकती है या उसे राज्य के एकाधिकार के लिए जगह छोड़नी पड़ सकती है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** निजी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना **अनुच्छेद 19(1)(a)** के अधीन अधिकार है, अनुच्छेद 14 या 21 के अधीन नहीं। **प्रेस की स्वतंत्रता** अलग से नहीं लिखी है; यह 19(1)(a) का भाग है।

याद रखें: छह स्वतंत्रताएँ, एक नागरिक का एक दिन: **बोलो** (a), **मिलो** (b), **जुड़ो** (c), **घूमो** (d), **बसो** (e), **कमाओ** (g)। छूटा अक्षर (f) संपत्ति है, जो 1978 में हटी।

झटपट जाँच

1. क्या कोई विदेशी नागरिक अनुच्छेद 19 के अधीन व्यापार की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है?
2. निजी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस खंड से संरक्षित है?
3. किस 2015 के मामले ने IT अधिनियम की धारा 66A रद्द की?

उत्तर: 1. नहीं; अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए है · 2. अनुच्छेद 19(1)(a) (नवीन जिंदल, 2004) · 3. श्रेया सिंघल

अनुच्छेद 20 और 22: दोषसिद्धि, गिरफ़्तारी और निरोध

कार्योत्तर विधि

दोहरा दंड

आत्म-अभिशंसन

24 घंटे

निवारक निरोध

सलाहकार बोर्ड

ये अनुच्छेद राज्य की सबसे कड़ी शक्ति, यानी गिरफ़्तार करने, अभियोजन चलाने और दंड देने की शक्ति, के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 20 किसी अपराध के अभियुक्त की रक्षा करता है; अनुच्छेद 22 गिरफ़्तार या निरुद्ध व्यक्ति की। ये **हर व्यक्ति** की रक्षा करते हैं, केवल नागरिकों की नहीं।

★★★ **अनुच्छेद 20(1), कार्योत्तर (Ex post facto) आपराधिक विधि नहीं**: ऐसे कार्य के लिए दोषसिद्धि नहीं जो करते समय अपराध नहीं था, और उस समय की विधि से अधिक दंड नहीं। यह केवल **आपराधिक** विधियों पर लागू है; सिविल और कर विधियाँ भूतलक्षी हो सकती हैं।

★★★ **अनुच्छेद 20(2), दोहरा दंड (Double jeopardy) नहीं**: किसी को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार **अभियोजित और दंडित** नहीं किया जाएगा। यह न्यायालयों और न्यायिक अधिकरणों पर लागू है, विभागीय जाँच पर नहीं।

★★★ **अनुच्छेद 20(3), आत्म-अभिशंसन (Self-incrimination) नहीं**: किसी अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य पर लागू है, उँगलियों के निशान, रक्त या हस्तलेख के नमूनों पर नहीं (काठी कालू ओघड़ (Kathi Kalu Oghad), 1961)। ज़बरदस्ती किए गए **नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग** परीक्षण इसका उल्लंघन हैं (सेल्वी (Selvi), 2010)।

★★ **अनुच्छेद 20 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता** (44वाँ संशोधन)।

★★★ **अनुच्छेद 22(1), (2), सामान्य गिरफ़्तारी**: व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ़्तारी के **आधार** बताए जाएँ; वह अपनी पसंद के **वकील से परामर्श और प्रतिरक्षा** करा सकता है; उसे यात्रा का समय छोड़कर **24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट** के सामने पेश करना होगा; और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), 2023 (जिसने 1 जुलाई 2024 से CrPC का स्थान लिया) 24 घंटे का नियम दोहराती है।

★★ **अनुच्छेद 22(3)**: ये सुरक्षाएँ **शत्रु विदेशी (Enemy alien)** या **निवारक निरोध** विधि के अधीन रखे गए व्यक्ति पर लागू **नहीं** होतीं।

★★★ **निवारक निरोध (Preventive detention)**: बिना मुकदमे के निरोध, ताकि व्यक्ति भविष्य में कुछ न कर सके। **सलाहकार बोर्ड (Advisory Board)** (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य सदस्य) पर्याप्त कारण की रिपोर्ट न दे तो **3 महीने** से अधिक निरोध नहीं; आधार बताए जाएँ (लोकहित के विरुद्ध तथ्यों को छोड़कर) और निरुद्ध व्यक्ति **अभ्यावेदन** कर सकता है।

★★ **44वाँ संशोधन (1978)** इस अवधि को घटाकर 2 महीने करता, पर वह खंड **कभी लागू नहीं किया गया**।

★★ **कौन विधि बना सकता है**: रक्षा, विदेश मामलों और भारत की सुरक्षा के लिए **केवल संसद**; राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति के लिए संसद और राज्य दोनों। उदाहरण: **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) 1980**, **COFEPOSA 1974**।



अपराध के लिए गिरफ़्तारी और निवारक निरोध पर अनुच्छेद 22 के अधीन अलग-अलग सुरक्षाएँ लागू होती हैं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुच्छेद 20(3) **गवाही के लिए बाध्य किए जाने** से रक्षा करता है, उँगलियों के निशान या रक्त देने से नहीं। दोहरे दंड के लिए पहले **अभियोजन और दंड** दोनों आवश्यक हैं; दोषमुक्ति या विभागीय दंड मुकदमे को नहीं रोकता।

☑ झटपट जाँच

1. अनुच्छेद 20 के तीन संरक्षण बताइए।
2. गिरफ़्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा?
3. कितनी अवधि से अधिक निवारक निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट चाहिए?

उत्तर: 1. कार्योत्तर आपराधिक विधि नहीं, दोहरा दंड नहीं, आत्म-अभिशंसन नहीं · 2. 24 घंटे, यात्रा का समय छोड़कर · 3. 3 महीने

अनुच्छेद 21 और 21A: प्राण, स्वतंत्रता और शिक्षा

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

मेनका गांधी 1978

सम्यक प्रक्रिया

पुट्टास्वामी 2017

अनुच्छेद 21 एक वाक्य है: किसी व्यक्ति को उसके **प्राण या दैहिक स्वतंत्रता** से **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law)** के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 1950 में न्यायालय ने इसे संकीर्ण रूप में पढ़ा; 1978 से प्रक्रिया का **उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त** होना ज़रूरी है, और 'प्राण' का अर्थ है **गरिमापूर्ण जीवन**। तब से अधिकतर नए अधिकार अनुच्छेद 21 के भीतर ही खोजे गए हैं।

★★ **ए.के. गोपालन (A.K. Gopalan) (1950)**: संकीर्ण दृष्टि: वैध विधि में दी गई कोई भी प्रक्रिया पर्याप्त है, और अनुच्छेद 19, 21 और 22 अलग-अलग पढ़े जाते हैं।

★★★ **मेनका गांधी (Maneka Gandhi) (1978)**: प्रक्रिया **उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त** हो, मनमानी नहीं; अनुच्छेद 14, 19 और 21 साथ पढ़े जाते हैं ('स्वर्णिम त्रिभुज')। व्यवहार में भारत **सम्यक प्रक्रिया (Due process)** के निकट आ गया।

★★★ **दो वाक्यांश**: '**विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया**' **जापान** के संविधान से आया है और केवल यह पूछता है कि वैध विधि का पालन हुआ या नहीं; '**विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due process of law)**' **अमेरिका** से आया है और न्यायालयों को यह परखने देता है कि विधि और उसकी प्रक्रिया उचित हैं या नहीं, यानी वे **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों** पर खरी उतरती हैं या नहीं।

★★★ **निजता का अधिकार (Right to privacy)**: **के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (K.S. Puttaswamy v Union of India) (24 अगस्त 2017)**, नौ न्यायाधीश, सर्वसम्मत: निजता **अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता** तथा भाग III की स्वतंत्रताओं का अभिन्न अंग है। इसी से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) 2023 बना।

★★★ **अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21** का भाग है (शफ़ीन जहाँ (Shafin Jahan), 2018, हादिया मामला)।

★★★ **अनुच्छेद 21 में पढ़े गए अन्य अधिकार**: गरिमा; **आजीविका** (ओल्गा टेलिस (Olga Tellis), 1985); **शीघ्र विचारण और निःशुल्क विधिक सहायता** (हुसैनारा खातून (Hussainara Khatoon), 1979); स्वच्छ पर्यावरण और जल; आश्रय; **आपातकालीन चिकित्सा सहायता** (परमानंद कटारा (Parmanand Katara), 1989); हिरासत में यातना के विरुद्ध और गिरफ़्तारी के दिशानिर्देशों के साथ (डी.के. बसु (D.K. Basu), 1997); **नींद** (रामलीला मैदान, 2012); **विदेश यात्रा** (मेनका गांधी); **गरिमा से मरना**, निष्क्रिय इच्छामृत्यु और लिविंग विल (कॉमन कॉज़ (Common Cause), 2018); **जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों** के विरुद्ध (एम.के. रंजीतसिंह (M.K. Ranjitsinh), 2024)।

★★ **नवतेज सिंह जौहर (Navtej Singh Johar) (2018)**: वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के अधीन अपराध नहीं रहे (धारा 377 को सीमित किया गया)। **सुप्रियो चक्रवर्ती (Supriyo Chakraborty) (अक्टूबर 2023)**: समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है; यह विषय संसद का है।

★★ **ADM जबलपुर (ADM Jabalpur) (1976)** ने कहा था कि आपातकाल में अनुच्छेद 21 के लिए कोई न्यायालय नहीं जा सकता; पुट्टास्वामी (2017) ने इसे गलत निर्णय घोषित किया, और 44वाँ संशोधन पहले ही अनुच्छेद 20 और 21 को अनिलंबनीय बना चुका था।

★★★ **अनुच्छेद 21A**: राज्य **6 से 14** वर्ष के सभी बच्चों को, विधि द्वारा तय रीति से, **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** देगा। **86वें संशोधन (2002)** से जोड़ा गया; **RTE अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010** से लागू हुआ। यह निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में **25%** सीटें वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करता है; अल्पसंख्यक विद्यालय इससे मुक्त हैं (प्रमति (Pramati), 2014)।

★ **86वें संशोधन** ने अनुच्छेद 45 भी फिर से लिखा (6 वर्ष से कम आयु के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख) और माता-पिता के लिए मौलिक कर्तव्य 51A(k) जोड़ा।

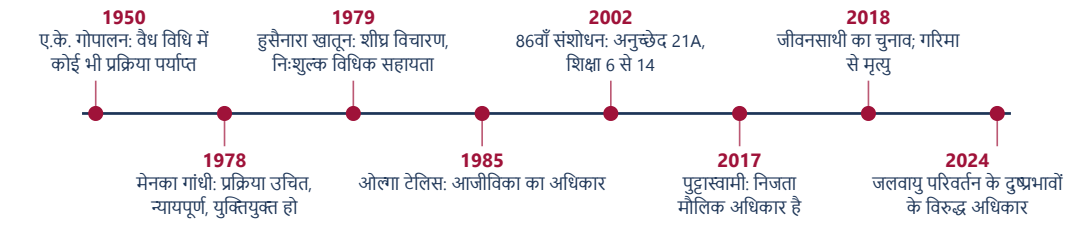

अनुच्छेद 21 कैसे बढ़ा: 'वैध विधि में कोई भी प्रक्रिया' (1950) से लेकर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में पढ़े गए अधिकारों की लंबी सूची तक।

याद रखें: मेनका ने अनुच्छेद 21 को 'FJR' बनाया: Fair, Just, Reasonable (उचित, न्यायपूर्ण, युक्तियुक्त)। गोपालन ने इसे नियम-पुस्तिका की तरह पढ़ा; मेनका ने एक वचन की तरह।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** निजता और जीवनसाथी का चुनाव **अनुच्छेद 21** से संरक्षित हैं, अनुच्छेद 19, 15 या 25 से नहीं। मूल रूप में 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' का अर्थ **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत** है, केवल 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के अधीन रखा है?
2. किस 1978 के मामले ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अधीन प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त हो?
3. अनुच्छेद 21A: कौन-सी आयु, कौन-सा संशोधन?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 21 (पुट्टास्वामी, 2017) · 2. मेनका गांधी · 3. 6 से 14 वर्ष; 86वाँ संशोधन (2002)

शोषण के विरुद्ध अधिकार: अनुच्छेद 23 और 24

अनुच्छेद 23

बेगार, दुर्व्यापार

न्यूनतम मज़दूरी

अनुच्छेद 23(2)

अनुच्छेद 24: 14 से कम

ये दो अनुच्छेद किसी के भी द्वारा, चाहे राज्य हो या निजी नियोक्ता, किए जाने वाले शोषण को लक्ष्य करते हैं: मनुष्यों की खरीद-बिक्री, उनसे बिना मज़दूरी काम कराना, और छोटे बच्चों को खतरनाक काम में लगाना।

★★★ **अनुच्छेद 23(1)**: **मानव दुर्व्यापार (Traffic in human beings)**, **बेगार** (बिना मज़दूरी के ज़बरन काम) और **बलात् श्रम** के अन्य रूपों का प्रतिषेध करता है; इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय **अपराध** है। यह नागरिकों और विदेशियों की, राज्य और **निजी व्यक्तियों** दोनों के विरुद्ध, रक्षा करता है।

★★ **न्यूनतम मज़दूरी से कम देना** अनुच्छेद 23 के अधीन बलात् श्रम है (PUDR बनाम भारत संघ, 1982, एशियाड श्रमिक मामला)।

★★ **अनुच्छेद 23(2)**: राज्य धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना **सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा**, जैसे सैन्य या सामाजिक सेवा, लगा सकता है।

★★ **विधियाँ**: अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (Immoral Traffic (Prevention) Act) 1956; **बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम (Bonded Labour System (Abolition) Act) 1976**।

★★★ **अनुच्छेद 24**: **14 वर्ष से कम** आयु के किसी बच्चे को किसी **कारखाने, खान** या अन्य **परिसंकटमय** नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

★★ **बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम (Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act) 1986, 2016** में संशोधित: 14 वर्ष से कम का कोई बच्चा **किसी भी** व्यवसाय में नहीं (विद्यालय के बाद पारिवारिक उद्यम में मदद या बाल कलाकार को छोड़कर), और 14 से 18 वर्ष का कोई किशोर खतरनाक काम में नहीं।

★★★ **इस श्रेणी में क्या नहीं है**: अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17, समता का अधिकार) और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार)।

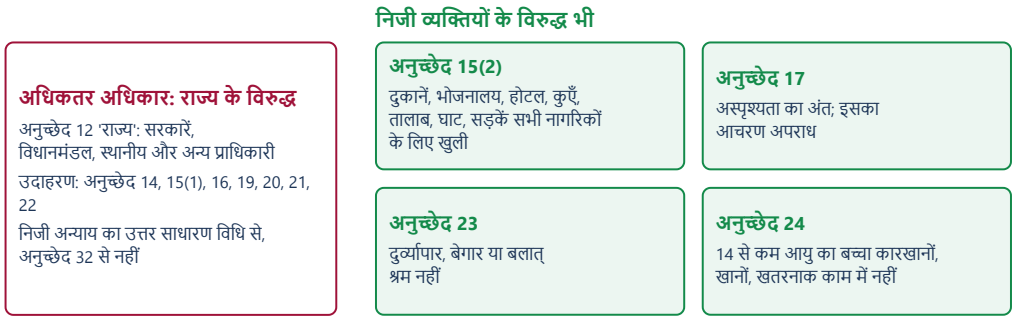

अधिकतर मौलिक अधिकार केवल राज्य को रोकते हैं। चार निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं: अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24।

💡 **याद रखें: 23 = श्रम में न व्यापार, न फँसाव (no Trading, no Trapping); 24 = 14 से कम कोई बच्चा नहीं।** दोनों संख्याएँ पास-पास हैं, जैसे 14 वर्ष और 24।

झटपट जाँच

1. कौन-से दो अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाते हैं?
2. अनुच्छेद 24 किस आयु से कम के बच्चों का कारखानों और खानों में नियोजन रोकता है?
3. वे चार अधिकार बताइए जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होते हैं।

उत्तर: 1. अनुच्छेद 23 और 24 · 2. 14 वर्ष · 3. अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24

धर्म की स्वतंत्रता: अनुच्छेद 25 से 28

अनुच्छेद 25: अंतःकरण

प्रचार ≠ धर्मांतरण

अनुच्छेद 26: संप्रदाय

अनुच्छेद 27: कोई कर नहीं

अनुच्छेद 28: धार्मिक शिक्षा

भारतीय पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का **अपना कोई धर्म नहीं** है और वह सभी धर्मों से समान व्यवहार करता है, फिर भी वह धार्मिक गतिविधि के **लौकिक** पक्ष का विनियमन और **सामाजिक सुधार** कर सकता है। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के लिए है, अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों के लिए, अनुच्छेद 27 करदाता के लिए और अनुच्छेद 28 कक्षा के लिए।

★★★ **अनुच्छेद 25(1)**: सभी **व्यक्तियों** को **अंतःकरण (Conscience)** की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से **मानने, आचरण करने और प्रचार करने** का अधिकार है, **लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य** और भाग III के अन्य उपबंधों के अधीन।

★★ **प्रचार धर्मांतरण नहीं है**: अपने धर्म के प्रसार के अधिकार में किसी दूसरे का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है (रेव. स्टैनिस्लॉस (Rev. Stainislaus), 1977); बल या छल से धर्मांतरण के विरुद्ध विधियाँ वैध ठहराई गईं।

★★ **अनुच्छेद 25(2)**: राज्य धर्म से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य **लौकिक** गतिविधियों का विनियमन कर सकता है, सामाजिक कल्याण और सुधार कर सकता है, और **सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं** को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोल सकता है। स्पष्टीकरण I: **कृपाण** धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अंग है। स्पष्टीकरण II: इस खंड के लिए हिंदुओं में **सिख, जैन और बौद्ध** शामिल हैं।

★ **अनिवार्य धार्मिक आचरण** की कसौटी: केवल धर्म के लिए अनिवार्य आचरणों को संरक्षण मिलता है (शिरूर मठ (Shirur Mutt), 1954)।

★★★ **अनुच्छेद 26**: हर **धार्मिक संप्रदाय (Religious denomination)** धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाएँ स्थापित कर उनका पोषण कर सकता है, धर्म के विषयों में अपने कार्यों का प्रबंध कर सकता है, और विधि के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व, अर्जन और प्रशासन कर सकता है; लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन।

★★★ **अनुच्छेद 27**: किसी व्यक्ति को ऐसे **कर** देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म के प्रचार या पोषण में लगे। किसी सेवा के लिए **शुल्क** लिया जा सकता है।

★★★ **अनुच्छेद 28**: **पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित** संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं; यह उस संस्था पर लागू नहीं जिसका प्रशासन राज्य करता है पर जो ऐसे न्यास के अधीन स्थापित है जो ऐसी शिक्षा की अपेक्षा करता है; राज्य से **मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त** संस्थाओं में किसी को उसकी सहमति (अवयस्क के लिए संरक्षक की सहमति) के बिना धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

★★ **बिजो इमैनुएल (1986)**: जो बच्चे धार्मिक कारणों से राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक खड़े रहे पर गाया नहीं, उन्हें निकाला नहीं जा सकता (अनुच्छेद 19(1)(a) और 25)।

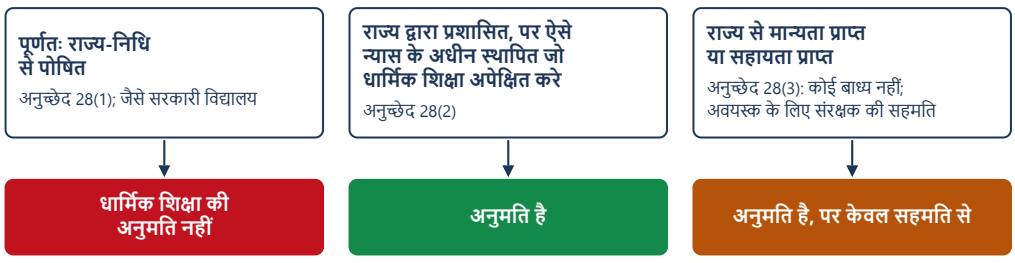

अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं को तीन प्रकारों में बाँटता है; धार्मिक शिक्षा की अनुमति इस पर निर्भर है कि खर्च कौन उठाता है और संस्था की स्थापना किसने की।

याद रखें: 25 व्यक्ति, 26 समूह, 27 बटुआ, 28 कक्षा।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अनुच्छेद 25 हर **व्यक्ति** की रक्षा करता है, अनुच्छेद 26 **संप्रदाय** की। अनुच्छेद 27 किसी धर्म के लिए **कर** को रोकता है, **शुल्क** को नहीं।

झटपट जाँच

1. धर्म की स्वतंत्रता को किन तीन आधारों पर सीमित किया जा सकता है?
2. क्या प्रचार के अधिकार में दूसरों का धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल है?
3. किन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह वर्जित है?

उत्तर: 1. लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य · 2. नहीं (रेव. स्टैनिस्लॉस, 1977) · 3. जो पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित हैं (अनुच्छेद 28(1))

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार: अनुच्छेद 29 और 30

अनुच्छेद 29(1)

अनुच्छेद 29(2)

अनुच्छेद 30(1)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक

15-सूत्री कार्यक्रम

अनुच्छेद 331, 2020 में समाप्त

बहुमत के मत से चलने वाले लोकतंत्र में यह गारंटी चाहिए कि छोटे समूह अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति न खोएँ। अनुच्छेद 29 विशिष्ट संस्कृति वाले **नागरिकों के किसी भी अनुभाग** की रक्षा करता है; अनुच्छेद 30 **अल्पसंख्यकों** को अपने विद्यालय और महाविद्यालय चलाने देता है।

★★ **अनुच्छेद 29(1)**: विशिष्ट **भाषा, लिपि या संस्कृति** वाले **नागरिकों के किसी भी अनुभाग** को उसे **बनाए रखने** का अधिकार है। यह अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक समूहों पर भी लागू है।

★★★ **अनुच्छेद 29(2)**: राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी संस्था में किसी **नागरिक** को केवल **धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा** के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

★★★ **अनुच्छेद 30(1)**: **धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों** को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की **स्थापना और प्रशासन** का अधिकार है।

★★ **अनुच्छेद 30(1A)** (44वाँ संशोधन): यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्था की संपत्ति अर्जित करे, तो प्रतिकर ऐसा हो कि अधिकार निष्फल न हो। **अनुच्छेद 30(2)**: अल्पसंख्यक द्वारा चलाए जाने के कारण किसी संस्था से अनुदान में भेदभाव नहीं।

★★ **अल्पसंख्यक** संविधान में परिभाषित नहीं है; इसका निर्णय **राज्य-दर-राज्य** होता है (टी.एम.ए. पई (T.M.A. Pai), 2002)। फिर भी राज्य मानकों, शुल्क और प्रवेश का विनियमन कर सकता है (पी.ए. इनामदार (P.A. Inamdar), 2005)।

★★★ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (National Commission for Minorities Act) 1992 के अधीन अधिसूचित **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक**: **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी** (1993) और **जैन** (2014)। लाभों में अनुच्छेद 30 की संस्थाएँ और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए **प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम** (2006) जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

★★★ किसी धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए **लोक सभा में कोई नामांकन नहीं**। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को अधिकतम दो **आंग्ल-भारतीयों** को नामित करने देता था; यह उपबंध **25 जनवरी 2020** को समाप्त हो गया क्योंकि **104वें संशोधन (2019)** ने इसे आगे नहीं बढ़ाया।

	अनुच्छेद 29	अनुच्छेद 30
किसके पास	विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाला नागरिकों का कोई भी अनुभाग	धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक
क्या देता है	उस भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार; धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य-पोषित या सहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश से इनकार नहीं	अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और चलाने का अधिकार; अनुदान में कोई भेदभाव नहीं
बहुसंख्यक भी?	हाँ, नागरिकों का कोई भी अनुभाग	नहीं, केवल अल्पसंख्यक
केवल नागरिक?	हाँ	हाँ; अल्पसंख्यक कौन है, यह राज्य-दर-राज्य तय होता है

अनुच्छेद 29 बनाम अनुच्छेद 30: हर अधिकार किसके पास है और वह क्या देता है।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** अधिसूचित अल्पसंख्यक होने से लोक सभा में अपने-आप कोई सीट या नामांकन **नहीं** मिलता; इससे अनुच्छेद 30 की संस्थाएँ और 15-सूत्री कार्यक्रम जैसी कल्याण योजनाएँ मिलती हैं।

☑ **झटपट जाँच**

1. कौन-सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और चलाने देता है?
2. अनुच्छेद 29(2) किन चार आधारों पर प्रवेश से इनकार रोकता है?
3. छह अधिसूचित राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के नाम बताइए।

उत्तर: 1. अनुच्छेद 30(1) · 2. धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा · 3. मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन

संपत्ति और व्यावृत्ति खंड: अनुच्छेद 31, 31A से 31C

अनुच्छेद 300A
44वाँ संशोधन
अनुच्छेद 31A, 31B
नौवीं अनुसूची
अनुच्छेद 31C
आई.आर. कोएल्हो 2007

संपत्ति का अधिकार शुरू से भूमि सुधार से टकराया। संसद सुधार विधियों को न्यायालयों से बचाने के लिए संविधान में संशोधन करती रही, न्यायालय उन संशोधनों को परखते रहे, और 1978 में संपत्ति भाग III से पूरी तरह बाहर हो गई।

★★ **1950 में** संपत्ति **अनुच्छेद 19(1)(f)** और **अनुच्छेद 31** के अधीन मौलिक अधिकार थी।

★★★ **44वें संशोधन (1978)** ने दोनों को निरसित किया। संपत्ति अब भाग XII में **अनुच्छेद 300A के अधीन संवैधानिक (विधिक) अधिकार** है: 'किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।' यह केवल नागरिकों का नहीं, **हर व्यक्ति** का अधिकार है, और इसका उपचार अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में है, अनुच्छेद 32 में नहीं।

★★ **केवल विधि संपत्ति ले सकती है**, मात्र कार्यपालिका आदेश नहीं; उच्चतम न्यायालय ने इसे मानवाधिकार भी कहा है (विद्या देवी (Vidya Devi), 2020)।

★★ **अनुच्छेद 31A** (पहला (1st) संशोधन, 1951): संपदाओं के अर्जन और ऐसे ही सुधारों की विधियों को अनुच्छेद 14 और 19 के अधीन चुनौती से बचाता है।

★★★ **अनुच्छेद 31B और नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule)** (पहला (1st) संशोधन, 1951): नौवीं अनुसूची में रखे गए अधिनियमों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। **आई.आर. कोएल्हो (I.R. Coelho) (2007): 24 अप्रैल 1973** (केशवानंद निर्णय) के बाद जोड़ी गई विधियों की समीक्षा हो सकती है यदि वे मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाएँ।

★★★ **अनुच्छेद 31C** (25वाँ संशोधन, 1971): **अनुच्छेद 39(b) और (c)** को लागू करने वाली विधियों को अनुच्छेद 14 या 19 के अधीन चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वें संशोधन ने इसे सभी निदेशक तत्वों तक फैलाया; **मिनर्वा मिल्स (Minerva Mills) (1980)** ने वह विस्तार रद्द कर दिया।

★★ **गोलकनाथ (Golaknath) (1967)** ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती; **24वें संशोधन (1971)** ने इसे उलटा, और **केशवानंद भारती (1973)** में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 से निर्णय दिया कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है पर मूल ढाँचे में नहीं।

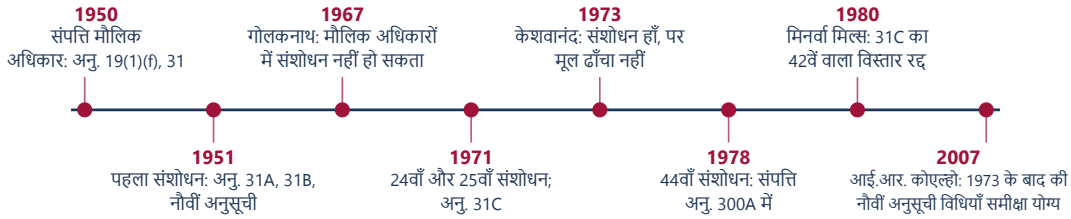

संपत्ति और व्यावृत्ति खंडों की कहानी: 1950 में मौलिक अधिकार से 1978 में अनुच्छेद 300A तक, और 2007 में नौवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा तक।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** आज संपत्ति **न मौलिक अधिकार है न केवल नागरिकों का अधिकार**: यह अनुच्छेद 300A के अधीन **किसी भी व्यक्ति** का विधिक (संवैधानिक) अधिकार है।

☑ झटपट जाँच

1. आज संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अधीन संरक्षित है, और किसके लिए?
2. किस संशोधन ने अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची बनाई?
3. किस तिथि के बाद जोड़ी गई नौवीं अनुसूची की विधियों की समीक्षा हो सकती है (आई.आर. कोएल्हो)?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 300A; हर व्यक्ति · 2. पहला (1st) संशोधन (1951) · 3. 24 अप्रैल 1973

संवैधानिक उपचारों का अधिकार: अनुच्छेद 32 और 226

अनुच्छेद 32

हृदय और आत्मा

अनुच्छेद 226: कोई अन्य प्रयोजन

जनहित याचिका

अनुच्छेद 139

मूल ढाँचा

उपचार के बिना अधिकार केवल एक वादा है। अनुच्छेद 32 **उपचार को ही मौलिक अधिकार** बनाता है: जिसका मौलिक अधिकार टूटे, वह सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। आंबेडकर (Ambedkar) ने इसे संविधान का **हृदय और आत्मा** कहा।

★★★ **अनुच्छेद 32(1)**: मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा **उच्चतम न्यायालय** जाने का अधिकार **प्रत्याभूत** है। आंबेडकर: यह 'संविधान की आत्मा और उसका हृदय' है।

★★ **अनुच्छेद 32(2)**: उच्चतम न्यायालय निदेश, आदेश या **रिट** जारी कर सकता है: **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) और अधिकार-पृच्छा (Quo warranto)**।

★★ **अनुच्छेद 32(3)**: संसद अन्य न्यायालयों को अपनी स्थानीय सीमाओं में ये रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है (अब तक ऐसा नहीं हुआ)। **अनुच्छेद 32(4)**: इस अधिकार को संविधान में दिए उपबंध (अनुच्छेद 359) के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता।

★★★ **अनुच्छेद 226**: **उच्च न्यायालय** मौलिक अधिकारों के लिए **और 'किसी अन्य प्रयोजन के लिए'** (सामान्य विधिक अधिकार) रिट जारी कर सकते हैं, इसलिए उनकी रिट शक्ति उच्चतम न्यायालय से **व्यापक** है; पर यह **विवेकाधीन** है और स्वयं मौलिक अधिकार नहीं है।

★★ **अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढाँचे** का भाग है (एल. चंद्र कुमार (L. Chandra Kumar), 1997)।

★★★ **जनहित याचिका (Public Interest Litigation, PIL)**: न्यायालय ने **सुने जाने के अधिकार (Locus standi)** को शिथिल किया ताकि कोई भी लोक-भावना वाला व्यक्ति उन लोगों की ओर से आ सके जो स्वयं नहीं आ सकते (एस.पी. गुप्ता (S.P. Gupta), 1981); न्यायमूर्ति **पी.एन. भगवती (P.N. Bhagwati)** और **वी.आर. कृष्ण अय्यर (V.R. Krishna Iyer)** ने इसे आकार दिया; एक पत्र को भी याचिका माना जा सकता है। हुसैनारा खातून (1979) को प्रायः पहली जनहित याचिका कहा जाता है।

★ **अनुच्छेद 139**: संसद उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है।

उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) ★★

बिंदु	अनुच्छेद 32	अनुच्छेद 226
लागू होने वाले अधिकार	केवल मौलिक अधिकार	मौलिक अधिकार और अन्य विधिक अधिकार
क्या उपचार स्वयं मौलिक अधिकार है?	हाँ	नहीं
क्या न्यायालय मना कर सकता है?	नहीं, जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखा दिया जाए	हाँ, यह विवेकाधीन है
पहुँच	पूरा भारत	अपना राज्यक्षेत्र, या जहाँ वाद-हेतुक उत्पन्न हुआ

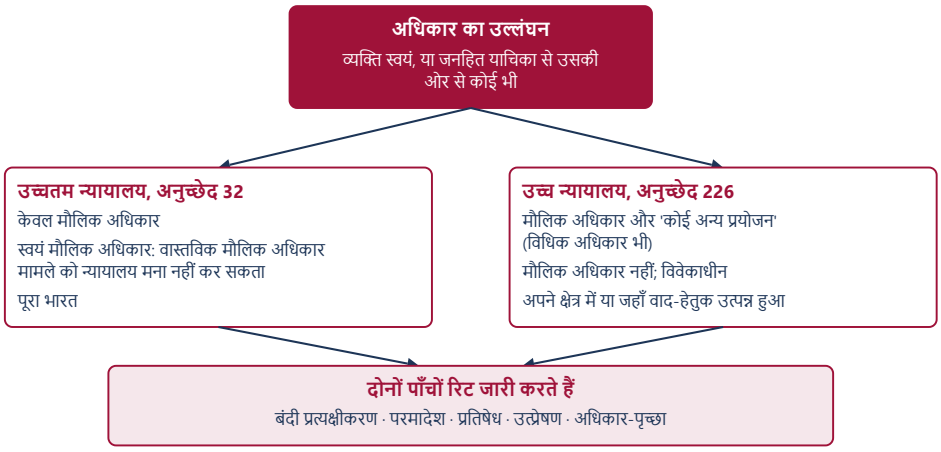

एक ही पाँच रिटों के दो द्वार: मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय, उनके और अन्य विधिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय।



डॉ. बी.आर. आंबेडकर (B.R. Ambedkar), प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। चित्र: Unknown author, Wikimedia Commons, public domain

⚠ **परीक्षा में सावधान: उच्च न्यायालय** की रिट शक्ति **दायरे** में व्यापक है (कोई भी विधिक अधिकार), जबकि **उच्चतम न्यायालय** जाने का अधिकार स्वयं मौलिक अधिकार है। दोनों को उलटें नहीं।

☑ झटपट जाँच

1. आंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा?
2. उच्च न्यायालय की रिट शक्ति उच्चतम न्यायालय से व्यापक क्यों है?
3. किस 1981 के मामले ने जनहित याचिका के लिए सुने जाने के अधिकार को शिथिल किया?

उत्तर: 1. अनुच्छेद 32 · 2. अनुच्छेद 226 'किसी अन्य प्रयोजन' को भी शामिल करता है, केवल मौलिक अधिकारों को नहीं · 3. एस.पी. गुप्ता

पाँच रिट

बंदी प्रत्यक्षीकरण

परमादेश

प्रतिषेध

उत्प्रेषण

अधिकार-पृच्छा

सुने जाने का अधिकार

रिट न्यायालय के आदेश हैं, जो इंग्लैंड की विधि से 'विशेषाधिकार रिट' (Prerogative writs) के रूप में मिले। हर रिट एक अलग अन्याय का उत्तर है: अवैध निरोध, न किया गया कर्तव्य, अपनी शक्ति से आगे जाता न्यायालय, या बिना अधिकार धारण किया गया पद।

पाँच रिट ★★★

रिट	अर्थ	किसके लिए जारी	किसके विरुद्ध जारी नहीं
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)	'शरीर प्रस्तुत करो'	निरुद्ध व्यक्ति को पेश करना और निरोध का औचित्य बताना; लोक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध	वैध निरोध; न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना के लिए निरोध; सक्षम न्यायालय द्वारा निरोध; न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निरोध
परमादेश (Mandamus)	'हम आदेश देते हैं'	किसी लोक अधिकारी, लोक निकाय, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या सरकार को वह लोक कर्तव्य करने का आदेश जो उसने नहीं किया	निजी व्यक्ति या निकाय (जब तक उसे लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो); कंपनी, सरकारी कंपनी भी (प्रागा टूल्स (Praga Tools), 1969); राष्ट्रपति या राज्यपाल; विवेकाधीन कर्तव्य
प्रतिषेध (Prohibition)	'मना करना'	अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को, मामला लंबित रहते, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही रोकने का आदेश	प्रशासनिक या विधायी निकाय; निजी व्यक्ति
उत्प्रेषण (Certiorari)	'प्रमाणित होना' या 'सूचित होना'	अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण द्वारा अपनी शक्ति से बाहर पहले ही पारित आदेश को रद्द करना, या मामला मँगाना; 1991 से अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी	विधायी निकाय; निजी व्यक्ति
अधिकार-पृच्छा (Quo warranto)	'किस अधिकार से'	विधि या संविधान द्वारा सृजित किसी सारवान लोक पद को धारण करने वाले व्यक्ति से उस पर अपना अधिकार दिखाने को कहना	अनुसचिवीय (Ministerial) पद; निजी पद

★★★ **कौन आवेदन कर सकता है**: सामान्यतः केवल **पीड़ित व्यक्ति**; **बंदी प्रत्यक्षीकरण** और **अधिकार-पृच्छा** के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, पहले में निरुद्ध व्यक्ति की ओर से और दूसरे में लोकहित की भावना वाले नागरिक के रूप में।

★★★ **प्रतिषेध बनाम उत्प्रेषण**: प्रतिषेध **निवारक** है, कार्यवाही **लंबित** रहते जारी होता है; उत्प्रेषण **उपचारात्मक** है, आदेश पारित होने के **बाद** जारी होता है, इसलिए इसे '**पोस्टमार्टम**' रिट कहा जाता है।

★★★ **परमादेश** केवल **लोक कर्तव्य** लागू कराने के लिए है: निजी संगठन के विरुद्ध नहीं जब तक उसे लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो, और किसी कंपनी के विरुद्ध, सरकारी कंपनी भी, उसके सामान्य दायित्वों के लिए नहीं।

★★ **बंदी प्रत्यक्षीकरण** दैहिक स्वतंत्रता का सबसे मज़बूत रक्षक है; यह किसी को अवैध रूप से रोकने वाले **निजी व्यक्तियों** के विरुद्ध भी जारी होता है।

अन्याय	रिट	क्या आदेश देती है
किसी को बिना विधिक अधिकार के रोका गया	बंदी प्रत्यक्षीकरण	'शरीर प्रस्तुत करो': व्यक्ति को पेश करो और निरोध का औचित्य बताओ
लोक प्राधिकारी अपना विधिक कर्तव्य नहीं करता	परमादेश	'हम आदेश देते हैं': लोक कर्तव्य करो
अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार से आगे जाने वाला है	प्रतिषेध	'मना करना': लंबित मामला रोको
अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण शक्ति से बाहर निर्णय दे चुका है	उत्प्रेषण	'सूचित होना': आदेश रद्द करो या मामला मँगाओ
कोई व्यक्ति बिना अधिकार के लोक पद धारण किए है	अधिकार-पृच्छा	'किस अधिकार से': दावा सिद्ध करो या पद छोड़ो

अन्याय को रिट से मिलाइए: हर रिट एक प्रकार के अन्याय का उत्तर है।



भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, जो अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी करता है। चित्र: Subhashish Panigrahi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

याद रखें: पाँच रिट, पाँच शब्द: 'Body, Command, Stop, Quash, Authority'। बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर लाता है, परमादेश आदेश देता है, प्रतिषेध रोकता है, उत्प्रेषण रद्द करता है, अधिकार-पृच्छा पूछती है कि किस अधिकार से। हिंदी में: 'शरीर, आदेश, रोक, रद्द, अधिकार'।

⚠ **परीक्षा में सावधान: प्रतिषेध** रिट **अधीनस्थ न्यायालय** को जाती है, किसी सरकारी अधिकारी या विधानमंडल को नहीं। 'पोस्टमार्टम' रिट **उत्प्रेषण** है, प्रतिषेध नहीं।

झटपट जाँच

1. कौन-सी दो रिट केवल पीड़ित ही नहीं, कोई भी व्यक्ति माँग सकता है?
2. कौन-सी रिट अधीनस्थ न्यायालय को बीच में रोकती है, और कौन-सी उसका निर्णीत आदेश रद्द करती है?
3. क्या परमादेश किसी निजी निकाय के विरुद्ध जारी होता है?

उत्तर: 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार-पृच्छा · 2. प्रतिषेध; उत्प्रेषण · 3. नहीं, जब तक उसे लोक कर्तव्य न सौंपा गया हो

अनुच्छेद 33 से 35, आपातकाल, और किसे कौन-सा अधिकार

अनुच्छेद 33: बल

अनुच्छेद 34: सेना विधि

अनुच्छेद 35: संसद

भाग III के अंतिम अनुच्छेद सीमाएँ तय करते हैं: अनुशासन की आवश्यकता वाले बल, सेना विधि वाले क्षेत्र, और आपातकाल। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रमुख अधिकारों को लागू करने वाली विधियाँ हर राज्य नहीं, केवल **संसद** बनाए, ताकि अधिकारों का अर्थ पूरे भारत में एक रहे।

अनुच्छेद 358

अनुच्छेद 359

केवल नागरिक

★★ **अनुच्छेद 33**: अनुशासन बनाए रखने के लिए **संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, आसूचना एजेंसियों** और ऐसे ही निकायों के मौलिक अधिकारों को सीमित या निरस्त कर सकती है।

★★ **अनुच्छेद 34**: किसी क्षेत्र में **सेना विधि (Martial law)** लागू रहते अधिकार सीमित किए जा सकते हैं; संसद वहाँ व्यवस्था बहाल करने के लिए किए गए कार्यों के लिए अधिकारियों को **क्षतिपूर्ति (Indemnity)** दे सकती है। संविधान सेना विधि को परिभाषित नहीं करता।

★★ **अनुच्छेद 35**: अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 और 34 के विषयों पर, और भाग III में अपराध घोषित कार्यों, जैसे अस्पृश्यता (अनुच्छेद 17) और बलात् श्रम (अनुच्छेद 23), के लिए दंड विहित करने वाली विधियाँ केवल **संसद** बना सकती है।

★ **अनुच्छेद 35A**, जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए 1954 के राष्ट्रपति आदेश से जोड़ा गया, अगस्त 2019 में लागू होना बंद हो गया।

★★★ **अनुच्छेद 358**: जब **युद्ध या बाह्य आक्रमण** (सशस्त्र विद्रोह नहीं) के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो, तो उसकी अवधि में **अनुच्छेद 19 अपने-आप निलंबित** हो जाता है।

★★★ **अनुच्छेद 359**: राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए **न्यायालय जाने** का अधिकार निलंबित कर सकता है, पर **अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं** (44वाँ संशोधन, 1978)।

★★★ **केवल नागरिक**: अनुच्छेद **15, 16, 19, 29 और 30**। **हर व्यक्ति**, विदेशियों सहित: अनुच्छेद **14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28** (अनुच्छेद 22 शत्रु विदेशी की रक्षा नहीं करता)।



केवल नागरिकों के अधिकार, और हर व्यक्ति के अधिकार। भारत में रह रहे विदेशी नागरिक को विधि के समक्ष समता, प्राण और स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता मिलती है, पर अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ नहीं।

⚠ **परीक्षा में सावधान:** वाक् स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार (अनुच्छेद 29, 30) **केवल नागरिकों** के लिए हैं; विधि के समक्ष समता और प्राण तथा स्वतंत्रता का संरक्षण **विदेशियों** को भी उपलब्ध है।

☑ झटपट जाँच

1. कौन-सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 को अपने-आप निलंबित करता है, और किस प्रकार के आपातकाल में?
2. अनुच्छेद 359 के अधीन कौन-से दो अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं किए जा सकते?
3. केवल नागरिकों वाले पाँच मौलिक अधिकार अनुच्छेदों की सूची दीजिए।

उत्तर: 1. अनुच्छेद 358; युद्ध या बाह्य आक्रमण · 2. अनुच्छेद 20 और 21 · 3. 15, 16, 19, 29, 30

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न (21)

UPSC 2011 भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस/किन विशेष लाभ/लाभों का हकदार हो जाता है ?

1. यह संप्रदाय/समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है ।
2. भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय/समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं ।
3. यह संप्रदाय/समुदाय प्रधान मंत्री के 15-प्वाइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c) केवल 1 और 3. अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित कर सकते हैं; अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में मनोनयन केवल आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए था

UPSC 2017 भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से परिकल्पित हैं ?

1. मानव देह व्यापार और बंधुआ मज़दूरी (बेगारी) का निषेध
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
4. कारख़ानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 2, 3 और 4 (c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c) केवल 1 और 4. शोषण के विरुद्ध अधिकार: अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है; अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है

UPSC 2018 निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है । भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है ?

(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिए राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ (d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ. निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और भाग III की स्वतंत्रताओं द्वारा संरक्षित है

UPSC 2019 भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है?

(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 21 (c) अनुच्छेद 25 (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b) अनुच्छेद 21. अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 का अंग है

UPSC 2020 निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है ?

(a) शोषण के विरुद्ध अधिकार (b) स्वतंत्रता का अधिकार (c) सांविधानिक उपचार का अधिकार (d) समता का अधिकार

उत्तर: (d) समता का अधिकार. अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) के तहत अस्पृश्यता का अंत करता है

UPSC 2021 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 'निजता का अधिकार' संरक्षित है?

(a) अनुच्छेद 15 (b) अनुच्छेद 19 (c) अनुच्छेद 21 (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c) अनुच्छेद 21. निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और भाग III की स्वतंत्रताओं द्वारा संरक्षित है

UPSC 2021 कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान, जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है?

(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 28 (c) अनुच्छेद 32 (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a) अनुच्छेद 14. अनुच्छेद 14 मनमाने कानूनों को, अनिर्देशित विवेकाधिकार सहित, अमान्य करता है

UPSC 2021 भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है?

(a) यह विधिक अधिकार है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है (b) यह विधिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है
(c) यह मूल अधिकार है, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है (d) यह न तो मूल अधिकार है, न ही विधिक अधिकार

उत्तर: (b) यह विधिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है. अनुच्छेद 300A: संपत्ति का अधिकार हर व्यक्ति का संवैधानिक विधिक अधिकार है; 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति को मौलिक अधिकारों से हटाया

UPSC 2021 भारतरत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. भारतरत्न और पद्म पुरस्कार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 (1) के अंतर्गत उपाधियाँ हैं।
2. वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था।
3. किसी वर्ष-विशेष में भारतरत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या पाँच तक सीमित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही नहीं हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d) 1, 2 और 3. भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय सम्मान अनुच्छेद 18 द्वारा वर्जित 'उपाधियाँ' नहीं हैं; भारत रत्न के नियम एक वर्ष में अधिकतम तीन सम्मान तय करते हैं

UPSC 2022 भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध, जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश (मैंडेमस) नहीं होगा ।
2. किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश (मैंडेमस) नहीं होगा ।
3. कोई भी लोक-प्रवण व्यक्ति (पब्लिक माइंडेड परसन) अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो) रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची (पिटीशनर) हो सकता है ।
उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं ?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d) 1, 2 और 3. परमादेश लोक प्राधिकारी, या सार्वजनिक कर्तव्य वाले निजी निकाय, के विरुद्ध जारी होता है; अधिकार-पृच्छा रिट के लिए कोई भी व्यक्ति याचिका दे सकता है, केवल पीड़ित व्यक्ति ही नहीं

UPSC 2023 सारभूत रूप में, 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' का अभिप्राय क्या है?
(a) नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत (b) विधि द्वारा स्थापित पद्धति (c) विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति (d) विधि के समक्ष समता
उत्तर: (a) नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत. विधि की सम्यक् प्रक्रिया जाँचती है कि कानून और उसकी प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त हैं या नहीं; मेनका गांधी (1978) ने अनुच्छेद 21 की 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' में निष्पक्षता जोड़ी

UPSC 2023 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
कथन-I :
भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी।
कथन-II :
भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' पद को परिभाषित करता है।
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है
(d) कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है
उत्तर: (c) कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है. अनुच्छेद 335: सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के दावे प्रशासन की दक्षता के अनुरूप हों; अनुच्छेद 335 'प्रशासन की दक्षता' का उल्लेख करता है, पर उसे परिभाषित नहीं करता

UPSC 2024 भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है ?
(a) अनुच्छेद 15 (b) अनुच्छेद 16 (c) अनुच्छेद 19 (d) अनुच्छेद 21
उत्तर: (d) अनुच्छेद 21. पुट्टस्वामी (2017): निजता मौलिक अधिकार है, जो मुख्यतः अनुच्छेद 21 में निहित है

UPSC 2024 प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है ?
(a) किसी सरकारी अधिकारी को, उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए
(b) संसद/विधान सभा को, मद्यनिषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए
(c) निचली अदालत को, किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए
(d) सरकार को, उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए
उत्तर: (c) निचली अदालत को, किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए. प्रतिषेध रिट उच्चतर न्यायालय निचले न्यायालय को अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने हेतु जारी करता है

UPSC 2026 'X', भारत के संविधान के भाग III के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित, 'विधि' शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था। 'X' ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में 'विधि' शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। इसमें अध्यादेश, आदेश तथा नियम और विनियम भी सम्मिलित हैं। 'Y' ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में 'विधि' शब्द के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित है, जिससे 'X' सहमत नहीं था।
उपर्युक्त के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्ष को चुनिए :
(a) विधि की व्याख्या में, 'X' सही है, जिसमें रूढ़ि को सम्मिलित न किए जाने के बारे में उसके विचार भी सम्मिलित हैं।
(b) 'Y' का यह विचार कि 'विधि' में रूढ़ि सम्मिलित है, सही नहीं है। (c) 'X' और 'Y' दोनों के विचार सही हैं। (d) केवल 'Y' का विचार सही है।
उत्तर: (d) केवल 'Y' का विचार सही है।. अनुच्छेद 13(3): 'विधि' में अध्यादेश, नियम, विनियम और रूढ़ि या प्रथा शामिल हैं

BPSC 60th-62nd उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना _____ के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है ।
(a) संविधान का अनुच्छेद 14 (b) संविधान का अनुच्छेद 19 (1)(a) (c) संविधान का अनुच्छेद 21 (d) संविधान का अनुच्छेद 25
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (b) संविधान का अनुच्छेद 19 (1)(a). राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है

BPSC 60th-62nd उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परन्तु गैर-नागरिकों को नहीं :
I. भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
II. कानून के समक्ष समता
III. अल्पसंख्यकों के अधिकार
IV. जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण
(a) I और III (b) I और IV (c) II और IV (d) II और III (e) उपरोक्त में से कोई नहीं/ उपरोक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (a) I और III. अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं; अनुच्छेद 14 और 21 विदेशियों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं

BPSC 65th निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे 'पोस्टमॉर्टम' भी कहा जाता है?
(a) प्रतिषेध (b) परमादेश (c) उत्प्रेषण (d) अधिकार-पृच्छा (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
उत्तर: (c) उत्प्रेषण. उत्प्रेषण पारित आदेश को रद्द करता है; प्रतिषेध चल रही कार्यवाही को रोकता है

BPSC 69th भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है?
(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 15 (c) अनुच्छेद 17 (d) अनुच्छेद 22
उत्तर: (c) अनुच्छेद 17. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसके आचरण को अपराध बनाता है

BPSC 70th re-exam एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की माँग नहीं कर सकता है ?
(a) व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता (b) कानून के समक्ष समानता (c) जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण (d) धार्मिक स्वतंत्रता
उत्तर: (a) व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता. अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों के लिए हैं; अधिकांश अन्य अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए

BPSC 71st भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है किन्तु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि :
1) सामान्य जन का हित संरक्षित हो
2) विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यक्ताएं अवरोध न हो।
3) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजर अंदाज किया जा सकता है।
4) सामूहिक हित बृहत्तर नही है।
इनमें से :
(a) 1 और 2 सही है (b) 2 और 3 सही है (c) केवल 4 सही है (d) केवल 1 सही है
उत्तर: (a) 1 और 2 सही है. मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन सामान्य जनहित में होने चाहिए; किसी नीति-निदेशक तत्व को आगे बढ़ाने वाला निर्बंधन युक्तियुक्त माना जा सकता है

स्वयं को परखें (13)

1. भारत में रह रहे किसी विदेशी नागरिक को निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार उपलब्ध है?
(a) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (b) लोक नियोजन में अवसर की समता (c) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
(d) विशिष्ट भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार

2. अनुच्छेद 13 में 'विधि' शब्द में शामिल नहीं है
(a) अध्यादेश (b) विधि का बल रखने वाली रूढ़ि (c) अधिसूचना (d) अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन

3. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू कराया जा सकता है?
(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 17 (c) अनुच्छेद 19 (d) अनुच्छेद 21

4. विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 20 2. अनुच्छेद 21 3. अनुच्छेद 19 4. अनुच्छेद 25। राष्ट्रीय आपातकाल में भी किसे निलंबित नहीं किया जा सकता?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1, 2 और 4 (d) केवल 3 और 4

5. उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन रिट जारी कर सकता है
(a) केवल मौलिक अधिकारों के लिए (b) मौलिक अधिकारों के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए
(c) केवल तब जब उच्चतम न्यायालय मामला भेजे (d) केवल निजी व्यक्तियों के विरुद्ध

6. किसी व्यक्ति को वैधानिक लोक पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि वह उसके लिए योग्य नहीं है। उपयुक्त रिट है
(a) परमादेश (b) उत्प्रेषण (c) अधिकार-पृच्छा (d) प्रतिषेध

7. किस संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया?
(a) 42वाँ संशोधन (b) 44वाँ संशोधन (c) 86वाँ संशोधन (d) 93वाँ संशोधन

8. इंदिरा साहनी (1992) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि
(a) नौकरियों में आरक्षण असंवैधानिक है
(b) OBC में क्रीमी लेयर को बाहर करना होगा और कुल आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक नहीं होना चाहिए
(c) आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है (d) पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार है

9. निजी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना किसका भाग माना गया है?
(a) अनुच्छेद 14 (b) अनुच्छेद 19(1)(a) (c) अनुच्छेद 21 (d) अनुच्छेद 25

10. आज भारत में संपत्ति का अधिकार है
(a) केवल नागरिकों का मौलिक अधिकार (b) सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार (c) हर व्यक्ति का संवैधानिक विधिक अधिकार
(d) न संवैधानिक, न विधिक अधिकार

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अस्पृश्यता का अंत करने वाला अनुच्छेद 17 समता के अधिकार का भाग है।
2. अनुच्छेद 15 उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव रोकता है।
3. अनुच्छेद 14 भारत में रह रहे विदेशी नागरिक की रक्षा करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

12. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
रिट : क्या करती है
1. बंदी प्रत्यक्षीकरण : निरुद्ध व्यक्ति को पेश करने और निरोध का औचित्य बताने को कहती है
2. उत्प्रेषण : मामला लंबित रहते अधीनस्थ न्यायालय को बीच में रोकती है
3. अधिकार-पृच्छा : पूछती है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से लोक पद धारण करता है
ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
(a) केवल एक (b) केवल दो (c) सभी तीनों (d) कोई नहीं

13. दिल्ली में काम करने वाले नेपाल के एक नागरिक को गिरफ़्तार कर तीन दिन तक पुलिस हवालात में रखा जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता। उसका नियोक्ता, जो कोई संबंधी नहीं है, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
(a) याचिका विफल होगी, क्योंकि अनुच्छेद 22 की गिरफ़्तारी संबंधी सुरक्षाएँ केवल भारत के नागरिकों की रक्षा करती हैं
(b) याचिका विफल होगी, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए केवल निरुद्ध व्यक्ति स्वयं आवेदन कर सकता है
(c) उसे पहले उच्च न्यायालय जाना होगा, क्योंकि विदेशी अनुच्छेद 32 का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते
(d) बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी हो सकता है; निरुद्ध व्यक्ति की ओर से कोई भी आवेदन कर सकता है

उत्तर: 1. (c) अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति की रक्षा करता है; अनुच्छेद 19, 16 और 29 केवल नागरिकों के लिए हैं। · 2. (d) 24वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 13(4) संविधान संशोधनों को बाहर रखता है। · 3. (b) अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता) निजी व्यक्तियों पर लागू होता है; अनुच्छेद 15(2), 23 और 24 भी। · 4. (a) 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं कर सकता। · 5. (b) अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों को शामिल करता है, इसलिए दायरे में यह अनुच्छेद 32 से व्यापक है। · 6. (c) अधिकार-पृच्छा पूछती है कि व्यक्ति किस अधिकार से लोक पद धारण करता है; इसे कोई भी व्यक्ति माँग सकता है। · 7. (c) 86वें संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 21A जोड़ा। · 8. (b) मंडल मामले ने क्रीमी लेयर के बहिष्कार और 50% की सीमा के साथ 27% OBC कोटा वैध ठहराया। · 9. (b) भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004): ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) से संरक्षित अभिव्यक्ति है। · 10. (c) 44वें संशोधन (1978) ने इसे अनुच्छेद 300A में भेजा, जो हर व्यक्ति की रक्षा करता है। · 11. (c) उद्भव और निवास वे दो आधार हैं जो अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों के लिए जोड़ता है; अनुच्छेद 15 में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान हैं। · 12. (b) युग्म 2 प्रतिषेध का वर्णन है; उत्प्रेषण पहले से पारित आदेश को रद्द करती है, इसीलिए इसे 'पोस्टमार्टम' रिट कहते हैं। · 13. (d) अनुच्छेद 22 शत्रु विदेशी को छोड़कर हर व्यक्ति की रक्षा करता है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण उन दो रिटों में से है जिन्हें कोई भी व्यक्ति माँग सकता है।